सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

परस्पेक्टिव–प्लान

(2003–2007)

जिला– झालावाड

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ....
Date ....

प्राक्कथन

अत्यन्त हर्ष का विषय हैं कि झालावाड़ जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु 8 वर्षीय सर्व शिक्षा अभियान योजना निर्मित की जा रही हैं। हाल के 2–3 वर्षो में जिलें में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये गये है। जिले के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने शिक्षकों की जागृति में वृद्धि की हैं, इस कार्यक्रम का एक अन्य पहलू प्राथमिक शाला भवनों का डी.पी.ई.पी. की निर्माण गतिविधियों द्वारा काया–कल्प होना हैं।

सर्व शिक्षा अभियान योजना में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सभी पहलूओं पर प्रयास कर शैक्षिक जागृति लाना संभव हो सकेगा। **सर्व शिक्षा अभियान** जिले में बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा।

मैं इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना करता हूं ।

प्रवीण गुप्ता **(I.A.S.),**
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, **D.P.E.P..**, झालावाड़

भूमिका

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) झालावाड़ जिले में प्राथमिक शिक्षा की चुनौयियों से जुझते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हुआ हैं। डी.पी.ई.पी. के कार्यक्रम अब जिले के शिक्षकों, बालकों, अभिभावकों एवं जन--प्रतिनिधियों को चौकाते नहीं वरन् एक जिज्ञासा भाव जगाते है।

डी.पी.ई.पी. की कार्यशैली, क्षमता तथा सफलता ने न केवल राज्य सरकार बल्कि भारत सरकार को यह भरोसा एवं विश्वास पैदा किया है और यह उसी का परिणाम हैं कि **सर्व शिक्षा अभियान** जैसी महत्वपूर्ण परियोजना की योजना निर्मित करने एवं कियान्वित करने का गुरूतर दायित्व डी.पी.ई.पी. को सौंपा गया है।

डी.पी.ई.पी. इस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम हैं तथा गंभीरता से इस योजना के सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए योजना निर्मित करने तथा लागू करने के लिए कृत–संकल्प हैं।

सर्व शिक्षा अभियान अभियान की **4 वर्षीय योजना** झालावाड़ जिले के बालक–बालिकाओं को कक्षा 8 तक की शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होगी तथा जिले की भविष्य की रूप–रेखा भी निर्धारित करेगी। जिले के समस्त वासियों को सर्व शिक्षा अभियान योजना पूरी तत्परता, क्षमता एवं श्रेष्ठता से कियान्वित करने का संकल्प जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डी.पी.ई.पी. दिलाता हैं।

समस्त बालक–बालिकाओं, अभिभावकों, जन–प्रतिनिधियेां, बुद्धिजीवियों एवं अधिकारियों का सहयोग, प्रेम एवं विश्वास हमे उत्तरोतर प्रगति के सौपान पर चलने में सहायक सिद्ध होगा।

मैं जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के सफलता एवं उज्जवल भविष्य की सुखद अभिलाषा रखती हूं।

रईसा जिलानी **(R.E.S.)**
जिला परियोजना समन्वयक
डी.पी.ई.पी., झालावाड़

अनुक्रमणिका

ध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	जिला परिदृश्य	1—11
1.1	भूमिका	
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	
1.3	झालावाड़ जिले का गठन	
1.4	भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु	
1.5.1	सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य	
1.5.2	साहित्य	
1.5.3	आर्थिक परिदृश्य	
1.6	व्यावसायिक स्वरूप	
1.7	प्रशासनिक ढांचा	
1.8	जन सांख्यिकी	
1.9	जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाऐं	
1.9.1	जवाहर रोजगार योजना	
1.9.2	प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना	
1.9.3	विधायक सीानीय क्षेत्र विकास योजना (M.L.A.L.A.D.)	
1.9.4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P..L.A.D.)	
1.9.5	महिला एवं बाल विकास परियोजना	
1.9.6	बालिका समृद्धि योजना	
2.	**शैक्षिक परिदृश्य**	12—34
2.1	शैक्षिक विकास का इतिहास	
2.2	साक्षरता दर	
2.3	शैक्षिक सुविधाऐं	
2.4	नमांकन	
2.4.1	कक्षावार नामांकन	
2.4.2	जाति वार एवं कक्षावार नामांकन	
2.4.3(अ)	प्रबंध अनुसार नामांकन	
2.4.3(ब)	प्रबन्धवार नामांकन	
2.4.4	विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामांकन	
2.4.5	आयुवार नामांकन	
2.5	अनामांकित बालकों की सूचना शिक्षा—दर्पण—2001के अनुसार	
2.6	शुद्ध नामांकन अनुपात	
2.7	सकल नामांकन अनुपात	
2.8	ठहराव दर	
2.9	संक्रमण दर	
2.10	पुनरावृत्ति दर	
2.11	अध्यापकों की स्थिति	
2.11.1	विद्यालय वार विवरण	
2.11.2	कार्यरत, स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण	
2.12	अध्यापक छात्र अनुपात	
2.13	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)	
2.14	विद्यालयों की भौतिक स्थिति	
2.14.1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	
2.14.2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	
2.14.3	राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठ्शाला	
2.15	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा	
2.16	अन्य शैक्षिक योजनाऐं	

3.	योजना प्रकिया	35—50
3.1	भूमिका	
3.2	योजना समितियों का गठन	
3.3	विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन एवं उनसे प्राप्त प्रतिवेदन	
3.4	थ्शक्षा आपके द्वार	
3.5	प्रशासन गांव / शहर के संग	
3.6	सामाजिक सर्वेक्षण	
3.7	बेस लाईन सर्वे	
3.8	समस्याऐं एवं मुख्य मुद्दे	
3.8.1	थ्शक्षात्मक पहुंच एवं नामांकन	
3.8.2	ठहराव	
3.8.3	थ्शक्षा की गुणवत्ता	
3.8.4	संस्थागत क्षमताओं का विकास	
4.	लक्ष्य एवं उद्धेश्य	51—53
4.1	भूमिका	
4.2	सर्व शिक्षा अभियान के उद्धेश्य	
4.3	जिले के लक्ष्य	
4.3.1	पहुंच	
4.3.2	नामांकन	
4.3.3	ठहराव	
4.3.4	गुणात्मक सुधार	
5.	पहुंच एवं ठहराव	54—60
5.1	भूमिका	
5.2	पहुंच दर	
5.3	उ.प्रा.विद्यालय की कमोन्नति	
5.4	शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में बदलना	
5.5	सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा गारण्टी योजना की स्थिति	
5.6	अध्यापकों की आवश्यकता	
5.7	ठहराव दर की स्थिति	
5.8	सामुदायिक गतिशीलता	
5.9	विद्यालयों की भौतिक सुविधाऐं	
5.10	विद्यालय रख—रखाव	
5.11	विद्यालय से वंचित बालकों हेतु गतिविधियां	
6.	गुणवत्ता शिक्षा	61—63
6.1	भूमिका	
6.2	विद्यालय अनुदान राशि(S.F.G.)	
6.3	शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.)	
6.4	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	
6.5	प्रशिक्षण	
7.	विशिष्ट फोकस ग्रुप	64—68
7.1	भूमिका	
7.2	जैण्डर संवेदनशीलता	
7.3	विकलांग बालक—बालिकाओं की समेकित शिक्षा	
7.4	अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के बालक—बालिकाओं की शिक्षा	
7.5	घुमंतु परिवार वाले बालक—बालिकाओं की शिक्षा	
7.6	कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा	
8.	टनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन	69—72
8.1	भूमिका	
8.2	अनुसंधान	
8.3	मूल्यांकन	
8.4	परिवीक्षण	

8.5	प्रबोधन	
8.5.1	शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र (E.M.I.S.)	
8.5.2	योजना प्रबंधन सूचना तंत्र (P.M.I.S.)	
8.5.3	वित्तीय प्रबंधन सूचना तंत्र (F.M.I.S.)	
8.6	एम.आई.एस. स्टॉफ	
8.7	एम.आई.एस. संसाधन	
9.	प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास	73–86
9.1	भूमिका	
9.2	प्रबंधन	
9.2.1	जिला स्तर पर प्रबंधन	
9.2.2	ब्लॉक स्तर पर प्रबंधन	
9.2.3	संकुल स्तर पर प्रबंधन	
9.3	संस्थाओं का क्षमता विकास	
9.3.1	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वयन एवं कार्यालय सुदृड़ीकरण	
9.3.2	अति.विकास अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वयन एवं कार्यालय सुदृड़ीकरण	
9.3.3	जिला शाषी परिषद(G.C.)	
9.3.4	जिला निष्पादन समिति(E.C.)	
9.3.5	जिला संदर्भ समूह(D.R.G.)	
9.3.6	खण्ड संदर्भ केन्द्र(B.R.C.)	
9.3.7	खण्ड शिक्षा समिति(B.E.C.)	
9.3.8	संकुल संदर्भ केन्द्र (C.R.C.)	
9.3.9	संकुल संदर्भ समूह(C.R.G.)	
9.3.10	शाला प्रबंधन समिति(S.M.C.)	
9.3.11	भवन निर्माण समिति(B.N.S.)	
9-4	कोष प्रवाह (Find Flow)	
10.	निर्माण कार्य	86–91
10.1	भूमिका	
10.2	भवन विहीन विद्यालय	
10.3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष	
10.4	विद्यालयों में मरम्मत	
10.5	शौचालय	
10.6	विद्यालयों में पेयजल सुविधा	
10.7	रैम्पस	
10.8	चार दिवारी	
11.	परियोजना लागत अनुमान	92–95
12.	प्रथम वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002–02	96–102
13.	कियान्विति प्रदर्शन	103–107
	परिशिष्ट 1 से 2	108

झालावाड़ जिला – एक नज़र में

झालावाड़ के संस्थापक		राज राणा जालिम सिंह झाला (प्रथम)		
स्थापना वर्ष	-	1838 ईसवीं		
प्रथम शासक	–	राज राणा मदन सिंह झाला		
जिले के रूप में गठन	–	25 मार्च 1948		
क्षेत्रफल	–	6219 वर्ग कि.मी.		
जनसंख्या	–	कुल	पुरूष	महिला
कुल	–	1180342	612357	567985
ग्रामीण	–	1012111	524112	488014
शहरी	–	168211	88245	79971
निरक्षर (15–35 आयु वर्ग)	–	183257	64087	119170
साक्षरता प्रतिशत	–	32.94	48.22	16.18
उत्तर साक्षरता लक्ष्य(नवसाक्षर)	–	1,50,000		
उपखण्ड	–	4		
तहसील(राजस्व)	–	9		
पंचायत समिति	–	6		
नगरपालिका	–	5		
विधानसभा क्षेत्र	–	5		
ग्राम पंचायत	–	252		
ग्राम	–	1595		

अध्याय – 1

जिला परिदृश्य

भूमिका

झालावाड़ झालाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। जो इस राज्य के भूतपूर्व शासक थे। झालावाड़ राज्य विगत डेढ़ शताब्दी वर्ष पूर्व कोटा रियासत से पृथक होकर स्वतंत्र राज्य बना यह राज्य अतिप्राचीन काल से मालवा प्रदेश का भाग रहा हैं। तथा इसका आरम्भिक इतिहास उज्जैन व इसके आस–पास के क्षैत्र से संबंधित रहा हैं ये भी विदित हैं कि मुगल काल में झालावाड़ का अधिकतर क्षैत्र मालवा प्रदेश में सम्मिलित था। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल–फज़ल के अनुसार झालावाड़ मालवा के सुबे में शामिल किया गया तथा राघव देव झाला को यह प्रदेश 1420 ई0 में मांण्डू के शासकों द्वारा जागीर में प्राप्त हुआ इस समय तक झालावाड़ का इतिहास मालवा राजधानी की कहानी से जुड़ा हुआ हैं । इसके पश्चात् झालावाड़ झालाओं की भूमि के रूप में विख्यात हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि –

झालावाड़ राज्य के अध्ययन हेतु उपलब्ध शिला–लेख, सिक्के, पुरातत्व अवशेष व साहित्यिक संदर्भो से स्थानीय अधिपतियों का नामों का पता चलता हैं, हालांकी इस राज्य का कम बद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं हैं परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार झाला राजपूत पन्द्रहवीं शताब्दी से काठियावाड़ के हलवाड़ प्रदेश के एक छोटे से अधिपति राज्य घर के वंशज माने जाते हैं। इस वंश के नवे उत्तराधिकारी माधोंसिंह ने अपने जन्म स्थान को छोड़ कर कोटा के महाराव के यहां नौकरी करली उन्होनें अपने अच्छे कार्य एवं व्यवहार से जागीर प्राप्त की तथा सेना व किलें पति का पद अर्जित कर अपनी बहिन की शादी कोटा राज्य के उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह से करके इन्होनें अपने पद को वंश में उत्तराधिकार से प्राप्त करके सफलता प्राप्त की। माधों सिंह के पश्चात् मदन सिंह उत्तराधिकारी बने एवं उनके बाद हिम्मत सिंह बने जिनकी मृत्यु 1758 में हुई इनके बाद इनका दत्तक पुत्र जालिम सिंह उत्तराधिकारी बना। जालिम सिंह ने 1761 में कोटा की फोजों का भटवाड़ा युद्ध में जयपुर राज्य के विरूद्ध सफलता व वीरता पूर्वक नेतृत्व कर अपनी धाक जमाई। इन्होनें प्रशासन में सुधार करके राज्य की जनता का दिल जीत लिया। इन्होनें अमीर खां पिंडारी लडाकू से प्रजा को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई इन्होनें राजस्थान में अंग्रेजों से मिलकर 1817 में अपने

स्वामी महाराव उम्मेदसिंह को अंग्रेजों से संधि करने हेतु राजी किया जिसके फलस्वरूप कोटा के शासक व उनके उत्तराधिकारी राज्य के शासक माने गये इसके प्रशासन का जिम्मा जालिम सिंह व इसके उत्तराधिकारी को सौपा गया। सन् 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र के उत्तराधिकार के संबंध में नोमिनल शासक व उसके पैतृक दीवान या मुख्यमंत्री अर्थात् झालावाड़ चीफ्स में खुलकर संघर्ष हुआ। सन् 1884 में ऐसी स्थितियां निर्मित हुई की जनता की राय दीवान को बहार निकालने की बन गई। अंग्रेजों ने कोटा शासकों की सहमति से झालावाड़ को एक अलग राज्य का रूप जालिम सिंह उत्तराधिकारियों के लिये देने का निश्चय किया। इसकी पुष्टि सन् 1838 में हुई संधि से हुई। झालावाड़ के नये शासकों ने सन् 1857 में उत्तर भारत में हुई क्रान्ति में अंग्रेजों की मदद की। भारत संघ में इस राज्य को मिलाने वाले अंतिम शासक हरिश्चन्द्र थे जो सन् 1943 में अपने पिता राजेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद आसीन हुऐ थे।

झालावाड़ जिले का गठन –

स्वतंत्रता के पश्चात् राज्यों के निर्माण, संघठन राजस्थान में मिलने का सर्वप्रथम कदम भूतपूर्व कोटा, डूंगरपूर एवं झालावाड़ के शासकों के द्वारा उठाया गया था। इस प्रकार का संघ भूतपूर्व दस राज्यों कोटा, बून्दी, टोंक, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़ जिनकी राजधानी कोटा में रखी गई को मिलाकर 25 मार्च, 1948 को श्री एन.वी.गाडगिल की अध्यक्षता में उद्घाटन किया गया। सन् 1956 में राज्यों के पुर्नगठन के समय मध्य भारत के सुनेल टप्पें को इसमें सम्मिलित किया गया। इस प्रकार वर्तमान झालावाड़ जिला भूतपूर्व झालावाड़ रियासत से छः गुना बढ़ा हैं परन्तु 1838 में जो प्रारम्भ में राज्य प्रारम्भ किया गया था उससे छोटा हैं।

भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु –

झालावाड़ जिला राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में मालवा पठार के किनारें स्थित है। मध्य प्रदेश प्रान्त की सीमायें जिलें के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में लगती हैं। जिलें के उत्तर–पश्चिम में कोटा जिलें के रामगंजमण्डी तथा उत्तर में सांगोद तहसील की सीमा है। उत्तर–पूर्व में बांरा जिलें की अटरू व छीपाबड़ौद तहसीलें स्थित है। जिलें में मुकन्दरा पर्वत–माला उत्तर–पश्चिम से पूर्व तक गुजरती है तथा दो जिलों के बीच में सीमा खींचती हैं परन्तु खानपुर तहसील मुख्य पर्वत श्रृंखला से अलग हैं। जिला 23^0 45′ 20″ तथा 24^0 52′ 17″ उत्तरी अशांक्ष एवं 75^0 27′ 35″ तथा 76^0 56′ 48″ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

झालावाड़ जिला मालवा पठार के किनारें पर स्थित हैं जो नीची पहाड़ियों तथा छिछले मैदानों वाला क्षैत्र हैं। कई स्थानों पर तेज भौतिकीय बाधाओं के कारण कुछ पहाड़ियां बन गई हैं जो वास्तव में विन्ध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार हैं।

जलवायु –

झालावाड़ जिलें की जलवायु काफी शुष्क एवं स्वास्थ्य वर्धक हैं। वर्ष को चार मौसमों में बांटा जा सकता हैं। गर्मी का मौसम मार्च से जून के मध्य तक, मानसून का मौसम जून के मध्य से सितम्बर तक, मानसून के बाद का मौसम अक्टूबर से नवम्बर तक एवं सर्दी का मौसम दिसम्बर से फरवरी तक माना जा सकता हैं। जिलें का अधिकतम एवं न्यूनतम् तापमान 47^0 से 48^0 एवं 1^0 से 3^0 तक अंकित किया गया है। जिलें में वर्ष में सामान्य वर्षा 1048 मिली मीटर अंकित की गई हैं। पिछले दशक में जिलें की अपेक्षिक आंर्दता 72.7 % रहीं। जिलें का क्षैत्रफल 6219 वर्ग किलोमीटर हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य –

झालावाड़ जिलें के सामाजिक ढांचें में सांस्कृतिक समरसता एवं धार्मिक सहिष्णुता एवं पारम्परिक सद्भाव की झलक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों एवं पर्वो पर देखी जा सकती हैं। झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक पर्वो पर मेले आयोजित होते रहते हैं। इनमें राम–नवमीं पर गंगधार में, शिवरात्री पर मनोहरथाना में, बसन्त–पंचमी में अकलेरा में, कार्तिक एवं बैशाख में झालरापाटन में मेलें आयोजित होते हैं। इसी के साथ नाग पूर्णिमा पर भवानीमंण्डी में एवं मकर संक्रांति पर खानपुर में बंगाली बाबा का मेला आयोजित होता हैं। झालरापाटन, झालावाड़ में होली, दिवाली, राम–नवमीं, महाशिवरात्री, ईद, मोहर्रम, बारहवफात के पर्व एवं त्यौहार धूम–धाम एवं उल्लास पूर्वक मनायें जाते हैं। झालावाड़ जिलें में खानपुर में चांदखेड़ी एवं उन्हेल नागेश्वर में अनेक जैन धर्मावलम्बियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते है। जिलें के प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल का संक्षिप्त महत्व निम्नांकित रूप से प्रस्तुत हैः–

- झालावाड़ –जिला मुख्यालय, गढ–भवन, भवानी नाट्य–शाला, म्यूजियम तथा स्नातकोत्तर महाविध्यालय, पुस्तकालय दर्शनीय हैं।
- रैन बसेरा – झालावाड़ से कोटा मार्ग पर 6 किमी. दूर स्थित कृष्ण सागर के तट पर लकड़ी के रेस्ट–हाऊस के कारण प्रसिद्ध हैं।

3. गागरौन दुर्ग – झालावाड़ से 3 किमी. उत्तर में काली–सिंध एवं आहू–नदियों के संगम स्थल पर निर्मित विश्व का एक मात्र चट्टानी दुर्ग यहीं पर महान सुफी संत हज़रत मिठ्ठे शाह की दरगाह एवं संत पीपा नंद की समाधी हैं।

4. झालरापाटन – झालावाड़ से 6 किमी. दूर जिलें का दूसरा मुख्य व्यापारिक नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12 पर स्थित हैं यह स्थल जिलें के मुख्य व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र है। यहां पर सातवीं शताब्दी का सूर्य मन्दिर एवं चन्द्रावती नदी के तट पर अनेक पूरातात्विक महत्व के मंदिर हैं। जिनमें शीतलेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख हैं। यह स्थल प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार घंटियां (झालरों का नगर) के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। शान्ति नाथ जैन मन्दिर जैन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख मन्दिर अपनी कला एवं स्थापत्य के लिये दर्शनीय हैं।

5. दलहनपुर – झालावाड़ से 54 किमी. दूर छापी नदी के किनारे अत्यन्त प्राचीन एवं भव्य मंदिरों के अवशेष दर्शनीय हैं।

6. कोल्वी की गुफाऐं– झालावाड़ से 100किमी. दूर डग के समीप बोद्ध–कालीन कोल्वी की गुफाऐं एवं स्तुप हैं ।

साहित्य –

झालावाड़ प्राचीन काल से ही कला एवं संस्कृति का केन्द्र बिन्दू रहा हैं यहां के शासक भवानी सिंह एवं राजेन्द्र सिंह साहित्यिक अभिरूचि के व्यक्ति थे। अनेक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण पुस्तके इनके शासन काल में लिखी गई हैं। वैंकटेश भट्ट, भट्ट जीवनलाल, गिरधारी शर्मा, गिरधर शर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह महाराजा स्वयं प्रमुख साहित्यिकारों में गिने जाते हैं। भीखम खान, अब्दुल वहीद निरंग, मुंशी शंभु दयाल दाधीच, हाफिज़ मोहम्मद यासीन एवं श्री राजेन्द्र सिंह महाराजा स्वंय ने उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य एवं संस्कृति की यह उज्जवल परम्परा सामंती शासन काल से आज तक शकुन्तला 'रेणु', कवि रघुराज सिंह हाड़ा मोलवी अब्दुल सलाम बेग शफीक, गधाधर भट्ट, माधव सिंह दीपक, एवं गौरीशंकर आर्य के रूप में आज तक चली आ रहीं हैं।

आर्थिक परिदृश्य –

जिलें में आजिविका के साधनों में कृषि, खनिज सम्पदा, पशु–पालन, उधोग–धन्धे तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां हैं।

.खनिज – जिलें में बालू–पत्थर, चुनें का पत्थर एवं कोटा स्टोन की अनेक स्थानों पर खानें हैं, जिनसे किमती पत्थर निकाला जाता हैं। झालावाड़ के कोटा–स्टोन की मांग विदेशों एवं देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में बहुत है।

II.फसल – जिलें में खरीफ की मुख्य फसलें सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, तिल एवं गन्ना हैं जबकि गेहू, चना, तिलहन, धनियां एवं अफीम रबी की मुख्य फसलें हैं।

II.पशु–पालन–पशु गणना 1998 के अनुसार जिलें में 430740 गांय–बैल, 228614भैंस–भैंसे, 240281 बकरियां, 16411 भेंडें, 1889 घोड़ें एवं टट्टू, 3211 गधे–खच्चर, 1077 ऊंट तथा 6643 सूअर हैं।

IV.उधोग एवं श्रम– जिलें में कपड़ें की रंगाई–छपाई, आटा पिसने, तेल निकालनें, गुढ़ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़ा पकाना, जुते बनाना, बांस का कार्य, बीड़ी एवं ऊन का उत्पादन, ईट पकाना, तथा तांबा, सोना चांदी का कार्य लघु एवं छोटें उधोग के रूप किया जा रहा हैं ।

व्यावसायिक स्वरूप –

झालावाड़ जिलें की कामकाजी आबादी तीन प्रमुख वर्गो में बंटी हुई हैं। पूर्ण कालीक अथवा मुख्य कार्मिक, सीमान्त एवं मौसमी कार्मिक तथा अकार्मिक। मुख्य एवं सीमान्त कार्मिकों का 82% कृषि कार्यो में लगा हुआ है। शेष 18% में से 1.5% घरेलू एवं कुटीर उद्योगों में नियोजित हैं शेष 16.5% विभिन्न प्रकार की सेवा एवं गतिविधियों में कर्मचारी है। अन्य गतिविधियों में प्रमुखतः सामाजिक, वानिकी, मछली पालन, पौध–संवर्दन, पशु–चराई, विभिन्न प्रकार की सामग्री उपकरण निर्माण, मरम्मत, घरेलू एवं व्यावसायिक उद्योगों, भवन–निर्माण, संचार एवं अन्य सेवाऐं हैं। अकामकाजी आबादी में बेरोजगार, विकलांग एवं बुर्जुग/वरिष्ठ नागरिक आते हैं। अकार्मिक आबादी का 56% शारीरिक / मांसिक रूप से किसी भी प्रकार के रोजगार को करने में अक्षम हैं अर्थात् आधी से ज्यादा आबादी बेरोजगार एवं रोजगार के अवसरों की कमी से पीड़ित हैं। इससे जिले की बेरोजगारी समस्या की विकरालता का पता चलता हैं।

प्रशासनिक ढांचा –

जिलें का प्रशासनिक ढांचे में जिला / ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर निम्न प्रकार की व्यवस्था हैं। जिलें का प्रशासनिक मुखिया जिला कलक्टर हैं जो जिला दण्डनायक भी कहलाता हैं। इसके अधीन उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार कार्यरत हैं। पंचायत समिति मुख्यालय पर विकास अधिकारी पद स्थापित हैं। जिले में उपखण्ड, तहसील, ब्लॉक एवं ग्रामों से संबंधित सूचना निम्न सारिणी से स्पष्ट है–

कसं	विवरण	संख्या	स्थान
1	उपखण्ड	5	अकलेरा,, खानपुर, झालावाड़, भवानीमंण्डी, पिड़ावा
2.	तहसील	7	मनोहरथाना, अकलेरा, खानपुर, झालरापाटन, पचपहाड़, गंगधार, पिड़ावा
3.	उपतहसील	3	असनावर, बकानी, सुनेल
4.	पंचायत समिति	6	झालरापाटन, खानपुर, बकानी, सुनेल, डग, मनोहरथाना
5.	ग्राम पंचायत	252	
6.	नगर पालिका	5	अकलेरा, झालरापाटन, झालावाड़, पिड़ावा, भवानीमंण्डी
7.	कुल ग्राम	1595	
8.	गैर आबाद ग्राम	98	
9.	ग्राम पंचायतों में कुल वार्ड	1502	
10.	नगर–पालिका में कुल वार्ड	126	

(स्त्रोत्– भारत की जनगणना 2001)

8 जन सांख्यिकी –

1991 की जनगणना एवं 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी का विस्तार (वृद्धि–दर) जाति–वार, लिंग–वार, ग्राम एवं शहरी जनसंख्या का तुलनात्मक संक्षित विवरण निम्न सारणियों द्वारा स्पष्ट हैं –

क.सं.	वर्ष	पुरूष	महिला	योग	वृद्धि–दर
1.	1991	498934	498037	956971	21.91%
2.	2001	612357	567985	1180342	23.34%

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

अनु.जाति / अनु. जन–जाति आबादी

क.सं.	वर्ष	पुरूष	महिला	योग	जाति
1.	1991	86434	78434	164868	अनु.जाति
2.	2001	106060	97239	203299	अनु.जाति
3.	1991	59714	54120	113834	अनु.जनजाति
4.	2001	73299	67022	140321	अनु.जनजाति

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

ग्रामीण / शहरी आबादी

क.सं.	वर्ष	पुरूष	महिला	योग	वृद्धि दर	वर्ग
1.	1991	419653	386355	806008	84.22%	ग्रामीण
2.	1991	79218	71682	150963	15.78%	शहरी
3.	2001	524112	488014	1012116	85.75%	ग्रामीण
4.	2001	88245	79971	168216	14.25%	शहरी

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

लिंग अनुपात – विगत दशकों में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या निम्नानुसार हैं –

क.सं.	वर्ष	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	1971	919	922	894
2.	1981	921	930	901
3.	1991	918	921	904
4.	2001	918	921	904

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

तहसील वार ग्रामीण / शहरी आबादी–2001

कसं	तहसील	कुल आबादी			ग्रामीण आबादी			शहरी आबादी		
		कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1.	खानपुर	153500	80225	73275	153500	80225	73275			
2.	झालरापाटन	291097	151313	139784	204999	106195	98804	86098	45118	40980
3.	अकलेरा	141962	74180	67782	123795	64647	59148	18167	9533	8634
4.	मनोहरथाना	116075	60099	55976	106848	55292	51556	9227	4807	4420
5.	पचपहाड़	152350	79185	73165	116668	60264	56404	35682	18921	16761
6.	पिड़ावा	183159	94401	88758	171977	88654	83323	11182	5747	5435
	गंगधार	142199	72954	69245	134339	68835	65504	7860	4119	3741
	योग	1180342	612357	567985	1012126	524112	488014	168216	88245	79971

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

जिलें में संचालित विभिन्न विकास योजनाऐं :–

झालावाड़ जिलें में संचालित विभिन्न विकास योजनाऐं जो जिलें की जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार उपलब्धता की दिशा में अग्रसर हैं का वर्णन निम्नानुसार हैं –

जवाहर रोजगार योजना –

इस योजना का उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को जिलें में शाला भवन, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र आदि निर्माण कार्यो में रोजगार के अवसर दिये जाते हैं। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये जाते हैं। तथा इनको धन–राशि डी.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

9.2 प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना –

1993 से संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना वर्तमान में प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना के नाम से संचालित है। इस योजना में डी.आर.डी.ए. के माध्यम से 18 से 60 आयु वर्ग के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को वर्ष में 160 दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाता हैं। जिलें के समस्त 6 पंचायत समितियों में ग्रामीण युवकों को स्व–रोजगार चलाने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सुविधा / जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

).3 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.L.A.L.A.D.)

राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक विधायक को एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपयें अपने क्षेत्र के विकास हेतु उपलब्ध करायें जाते हैं। ये धन राशि जिले को प्राप्त होने वाले केन्द्र एवं राज्य के योजना / गैर योजना बजट राशि के अतिरिक्त होती हैं। इस राशि का उपयोग विधायक अपने क्षेत्र का निम्नानुसार कार्य करा सकते हैं–

– राजकीय शिक्षए संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।

– पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड़/धर्मशाला/विश्रामग्रह/ स्टेडियम /वालमिकी भवन/सामुदायिक भवन।

– चार दिवारी निर्माण।

– शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।

– जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु फेक्स मशीन/कम्प्यूटर।

– राजकीय शिक्षए संस्थाओं के लिए अध्ययन–अध्यापन सामग्री / स्काउट सामग्री / खेल सामग्री /फर्नीचर/दरी।

कार्यो की स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव :– प्रत्येक विधानसभा सदस्य अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष 60.00 लाख रूपये तक की जनोंपयांगी परिसम्पत्तियों का निर्माए कराने के प्रस्ताव जिला ग्रामीए विकास अभिकरए में प्रेषित करेंगें जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित कराये जा सकेंगें।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (**M.P.L.A.D.**)

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सांसद को एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपयें अपने क्षेत्र के विकास हेतु उपलब्ध करायें जाते हैं। ये धन राशि जिले को प्राप्त होने वाले केन्द्र एवं

राज्य के योजना / गैर योजना बजट राशि के अतिरिक्त होती हैं। इस राशि का उपयोग सांसद अपने क्षेत्र का निम्नानुसार कार्य करा सकते हैं–

– विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण, जो सरकार अथवा स्थानीय निकाय के अधीन हो। ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

– मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रो, खेलकूद संघों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम–फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।

– सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।

– शिशुग्रह एवं आंगनवाडियॉ।

5 महिला एवं बाल विकास परियोजना –

जिले की गरीब एवं आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ी महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास परियोजना संचालित है। ग्राम स्तर पर आंगन बाड़ी केन्द्रों द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण तथा बालकों के स्वास्थ्य व पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी जानकारी दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, टीकाकरण तथा बालकों को प्रोटीन युक्त सोयाबीन का दलिया, तेल, गुढ़ आदि उपलब्ध करवाया जाता हैं।

बीस आंगन बाड़ी केन्द्रों पर एक महिला सुपरवाईज़र तथा ब्लॉक स्तर पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी योजना की कियान्विति एवं समीक्षा सुनिश्चित करते हैं। जिलें स्तर पर उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास परियोजना सम्पूर्ण जिले की गतिविधियों का संचालन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार योजना शिक्षा से बच्चों को जोड़ने हेतु अल्प आयु बच्चों को सहयोग प्रदान करती हैं। किशोर बालिका सम्मेलन द्वारा महिला जागृति, सामुहिक विवाह तथा सामाजिक कुरीतिया जेसे दहेज–प्रथा, बाल–विवाह आदि को दूर करने के प्रयास किये जाते हैं।

1.9.6 बालिका समृद्धि योजना :–

योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रथम दो बालिका के जन्म तक प्रत्येक बालिका के जन्म पर 500/– रू. की एक मुक्त सहायता उसकी माता को दी जाती है।

पात्रता : –

1. परिवार गरीबी रेखा से नीचे चयनित हो।
2. यह लाभ प्रथम दो बालिकाओं के समय तक ही सीमित है। चाहे परिवार के बच्चों की संख्या कितनी ही हो।

आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया : आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत में भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पंचायत के द्वारा स्वीकृत जारी की जाकर राशि का भुगतान बालिका की माता को दिया जायेगा।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

शैक्षिक विकास का इतिहास

हमारे देश को आजाद हुऐं 52 वर्ष हो चुके हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं । राजस्थान की दशा अन्य राज्यों केरल, कर्नाटक की तुलना में अच्छी नहीं हैं। लेकिन शिक्षा की विभिन्न नई योजनाऐं जैसे – शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश परियोजना, साक्षरता, डी.पी.ई.पी., गुरू–मित्र योजना आदि के माध्यम से निकट भविष्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य अर्जित किया जा सकता है। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करने हेतु अभिप्रेरित किया जा रहां हैं। लेकिन अभी तक प्राथमिक कक्षाओं में शत्–प्रतिशत नामांकन नहीं कर पा रहे है। महिला शिक्षा की दशा भी हमारें राज्य में अच्छी नहीं है। 6–11 आयु वर्ग की अधिकांश बालिकाऐं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में नहीं जाती हैं। राज्य के अन्य जिलों यथा ; अजमेर, जयपुर, झुंझनु एवं अलवर की अपेक्षा हमारे झालावाड़ जिले में महिला शिक्षा का शैक्षिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। महिला साक्षरता दर भी कम है अतः झालावाड़ जिलें जैसे पिछड़े जिलें के लिए यह महत्वपूर्ण हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु ज्यादा प्रभावशाली एवं विकासोन्मुख लक्ष्य आधारित योजना का होना आवश्यक हैं। झालावाड़ जिलें में आजाद होने तक मात्र एक ही इण्टर कॉलेज था। स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षिक दृष्टि से काफी विकास हुआ हैं। अब दो किमी. क्षेत्र की दूरी पर प्राथमिक शैक्षिक सुविधाऐं / विद्यालय उपलब्ध हैं। जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को अर्जित किये जाने का प्रयास जारी हैं। वर्ष 2000–01 के अनुसार जिलें में स्नातकोत्तर महाविद्यालय –1, स्नातक महाविद्यालय–2, व्यावसायिक महाविद्यालय–5, हायर सैंकण्डरी विद्यालय–37, सैकण्डरी–52, उच्च प्राथमिक विद्यालय–283, प्राथमिक विद्यालय–850, संस्कृत प्राथमिक विद्यालय–25, शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय–59, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला–266, तथा निजी क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालय–78, उच्च प्राथमिक विद्यालय–63 एवं माध्यमिक विद्यालय–7 संचालित हैं। जिससे शिक्षा का सार्वजनीकरण विस्तार कार्यक्रम संचालित किया जा रहां हैं।

साक्षरता दर – झालावाड़ जिलें की सम्पूर्ण साक्षरता दर 2001 के अनुसार 57.98% है, जिसमें शहरी क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत् 80.34%हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र का सम्पूर्ण साक्षरता प्रतिशत् 54.13%है। झालावाड़ जिलें में पंचायत समिति / तहसील–खानपुर में साक्षरता दर सबसे अधिक हैं इसके बाद दूसरे स्थान पर पंचायत समिति / तहसील – पिड़ावा का साक्षरता प्रतिशत हैं। पंचायत समिति मनोहरथाना एवं डग साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ हैं यहां पर अभी भी साक्षरता प्रतिशत् क्रमशः 43.59% व 45.68% हैं जबकि इन ब्लॉक में ग्रामीण महिला साक्षरता प्रतिशत् क्रमशः 23.98% व 27.43% हैं। जो कि जिलें में काफी कम हैं साक्षरता का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार हैं–

तहसीलवार ग्रामीण साक्षरता दर –

क्र. सं.	तहसील	कुल साक्षर जनसंख्या			ग्रामीण साक्षरता दर %		
		कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	खानपुर	84,370	55,685	28,685	66.17	83.50	47.17
2	झा0पाटन	87,014	60,624	26,390	52.17	70.21	32.81
3	अकलेरा	44,130	31,838	12,292	44.48	61.40	25.95
4	मनोहरथाना	36,791	27,060	9,731	43.59	61.74	23.98
5	पचपहाड़	52,278	36,313	15,965	54.00	72.63	34.11
6	पिड़ावा	93,343	59,391	33,952	65.33	80.68	49.01
7	गंगधार	51,177	36,213	14,964	45.68	63.01	27.43

(स्त्रोत्– जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, झालावाड़)

नगरीय साक्षरता दर –

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्र	शहरी साक्षरता दर %		
		कुल	पुरूष	महिला
1	झालावाड़ (M)	83.26	91.47	74.19
2	झालरापाटन (M)	81.44	91.15	70.91
3	बकानी (CT)	78.32	92.16	63.15
4	अकलेरा (M)	74.10	87.15	59.68
5	मनोहरथाना (CT)	77.79	89.24	65.58
6	भवानी मंण्डी (M)	79.97	90.93	67.58
7	पिड़ावा (M)	79.15	89.20	68.64
8	कोल्वी राजेन्द्रपुर (CT)	80.41	90.70	69.26

(स्त्रोत्– जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, झालावाड़)

शैक्षिक सुविधाऐं :– झालावाड़ जिलें में नीचे दी गई टेबिल के अनुसार कुल शैक्षिक संस्थाऐं संचालित हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहीं है (सत्र 2002–03 में)

शैक्षिक सुविधाऐं –

क्र.सं.	संस्थाऐं	राजकीय	निजी	कुल
1.	प्राथमिक विद्यालय	846	78	924
2.	राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला	432	–	432
3.	शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय	113	–	113
4.	संस्कृत प्राथमिक विद्यालय	20	–	20
5.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	297	63	360
6.	शिक्षा कर्मी उ.प्रा.विद्यालय	6	–	6
1.	माध्यमिक विद्यालय	55	13	68
2.	प्रवेशिका पाठशाला	1	–	1
3.	उ.मा.विद्यालय	39	–	39
6.	स्नातक महाविद्यालय (कन्या)	1	–	1
7.	स्नातक महाविद्यालय (बालक)	–	–	–
8.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	2	–	2
9.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	5	–	5
10.	जवाहर नवोदय विद्यालय	1	–	1
11.	केन्द्रीय विद्यालय	1	–	1
12.	महिला शिक्षण विहार	1	–	1
13.	आंगन बाड़ी केन्द्र	830	–	830
14.	ई.सी.ई.केन्द्र (डी.पी.ई.पी.)	100	–	100

(स्त्रोत्– जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

2.4 नांमाकनः– नामांकन के अन्तर्गत जिले में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं का कक्षावार,जातिवार,प्रबन्धवार एवं आयुवार नामांकन संलग्न सारणियों में दर्शाया गया है–

2.4.1 कक्षावार नामांकन (वर्ष 2002–03)

क्रस	ब्लॉक का नाम	कक्षा–1			कक्षा–2			कक्षा–3			कक्षा–4			कक्षा 5		
		B	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**
1	झालरापाटन	10222	7016	17248	7369	5002	12371	5533	4286	9819	4095	2822	6977	2714	2546	5190
2	खानपुर	4686	3672	8358	4707	4183	8890	4310	3668	5978	3402	2696	6098	1110	1040	2150
3	बकानी	5500	4745	10245	4444	3733	8167	4094	2058	5152	2848	2018	4866	1585	878	2463
4	सुनेल	5380	4933	10313	4999	4547	3546	3260	2674	5934	3353	1755	5108	2095	1256	3351
5	डग	5677	4906	10583	4879	4355	3234	3054	2346	5400	1966	1182	3148	1546	821	2367
6	मनोहरथाना	6358	5683	12031	4926	3252	8188	3289	2315	5594	2015	1135	3150	1642	758	2390
	योग	**38723**	**31645**	**70368**	**32534**	**26162**	**58696**	**23300**	**17597**	**40897**	**18359**	**11778**	**30137**	**11952**	**7389**	**19341**

क्रसं	ब्लॉक का नाम	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8			योग (कक्षा 1 – 8)		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	झालरापाटन	1832	1492	3334	345	1207	1792	862	345	1207	32851	25650	58501
2	खानपुर	1508	481	1989	1296	303	1599	790	341	1131	18809	13784	32593
3	बकानी	1544	336	1880	1329	341	1670	799	322	1121	20208	9356	29564
4	सुनेल	1580	326	1906	1223	310	1533	813	307	1120	19703	14108	33811
5	डग	1316	365	1681	1245	343	1588	761	304	1065	18444	12603	31047
6	मनोहरथाना	1132	321	1453	1283	333	1626	785	300	1085	19431	13083	32514
	योग	**8712**	**2321**	**11033**	**7771**	**2037**	**9814**	**4810**	**1919**	**6729**	**146161**	**100854**	**247015**

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.4.2 जातिवार एवं कक्षावार नांमाकन (कक्षा 1–5) वर्ष 2002–03

जाति	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनु.जाति	5733	4901	10634	4486	3652	8138	3884	2813	6697	2623	1548	4171	2262	1009	3271
अनु. जन–जाति	4324	3715	8039	3534	2857	6391	2962	2185	5147	1912	1173	3085	1707	929	2636
अ.पि.व.	15874	13360	29234	13118	10865	23983	11042	8047	19089	7337	4663	12000	6309	3948	10257
सामान्य	6354	5057	11411	4665	3816	8481	4071	3510	7581	3192	2383	5575	2758	1886	4644
योग	38723	31645	70368	32534	26162	58696	23300	17597	40897	18359	11778	30137	13036	7389	19341

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

जातिवार एवं कक्षावार नामांकन (कक्षा 6 – 8) वर्ष 2002 – 03

जाति	कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			योग (कक्षा 1 – 8)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनु.जाति	1255	434	1689	1079	282	1361	885	185	1070	22207	14824	37031
अनु.जनजाति	790	161	951	661	172	833	666	191	857	16556	11383	27939
अपिव	3015	1382	4397	2267	940	3207	2042	711	2753	61004	43916	104920
सामान्य	3652	344	3996	3770	643	4413	1217	822	2039	29679	18461	48140
योग	8712	2321	11033	7771	2037	9814	4810	1919	6729	146161	100854	247015

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.4.3 (अ) प्रबंध अनुसार नामांकन (सम्पूर्ण जिला) (वर्ष 2002–03)–

प्रबंधन	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
राज. विद्यालय	25486	23004	48490	21669	18713	40382	18554	14606	33160	12408	8342	20750	10600	6520	17120
निजी विद्यालय	6799	4029	10828	4134	2477	6611	3405	1949	5354	2656	1425	4081	2436	1252	3688
योग	38723	31645	70368	32534	26162	58696	23300	17597	40897	18359	9767	24831	13036	7772	20808

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

18

प्रबंध	कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			योग कक्षा 1 से 8		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
राज. विद्यालय	6064	1977	8041	5160	1617	3870	3870	1384	5254	103811	76163	179974
निजी विद्यालय	2648	344	2992	2617	420	3037	940	525	1465	25635	12421	38056
योग	**8712**	**2321**	**11033**	**7771**	**2037**	**9814**	**4810**	**1919**	**6729**	**129446**	**88584**	**218030**

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

(ब) प्रबन्धनवार नामांकन (ब्लॉक वार) कक्षा 1 से 8 तक (वर्ष 2002–03)

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	सरकारी विद्यालय			गैरसरकारी विद्यालय			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	बकानी	16606	6318	22924	3602	3038	6640	20208	9356	29564
2	खानपुर	15207	10951	26158	3602	2833	6435	18809	13784	32593
3	म.थाना	16349	10681	27030	3082	2402	5484	19431	13083	32514
4	डग	15088	9700	24788	3356	2903	5259	18444	12603	31047
5	झा.पाटन	28731	22474	51205	4126	3176	7302	32857	25650	58501
6	सुनेल	16415	10460	26875	3288	3648	5936	19703	14108	33811
	योग	**127635**	**82854**	**210489**	**18546**	**18000**	**36546**	**146181**	**100854**	**247015**

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.4.4 विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामांकन (वर्ष 2002–03)

प्रकार	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
प्रा.वि	60566	46098	106664	–	–	–	60566	46098	106664
उ.प्रा.वि.	19468	14817	34285	19164	5640	24804	38632	20457	59089
रा.गा.स्व.ज.पाठ.	9392	6820	16212	–	–	–	9392	6820	16212
अन्य विद्या.	7467	4939	12406	–	–	–	7467	4939	12406
सेकएडरी / सी. सेकएडरी	11260	9643	20903	2129	627	2756	13389	10270	23659
योग	124868	94571	219439	21293	6283	27576	146161	100854	247015

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.4.5 आयुवार नामांकन (वर्ष 2002–03):–

आयु	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
6 से कम	12978	9878	22856	–	–	–	12978	9878	22856
6–10	94860	72141	167001	218	342	560	95078	72483	167561
11–14	315	298	613	20440	5858	26298	20755	6156	26911
14से अधिक	–	–	–	635	67	702	635	67	702
योग	124868	94571	219439	21293	6283	27576	146161	100854	247015

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.5 अनामांकित बालकों की सूचना शिक्षा–दर्पण 2001 के अनुसार :–

कसं	ब्लॉक	बच्चों की संख्या 6–11 आयु वर्ग			बच्चों की संख्या 11–14 आयु वर्ग			अनामांकित 6–11			अनामांकित 11–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	झालरापाटन	18881	15023	33904	22381	17806	40187	659	1405	2064	619	1287	1906
2.	खानपुर	8790	4698	13488	8314	7675	15989	370	886	1256	409	1098	1507
3.	ब्कानी	8337	7466	15803	10159	8574	18027	1385	1830	3215	1672	3568	5240
4.	सुनेल	8365	6845	15210	9374	8653	18027	466	1055	1521	215	900	1115
5.	डग	8965	7247	16212	10569	8649	19218	1012	1633	2645	1035	1262	2297
6.	मनोहरथाना	11293	9019	20312	13386	10691	24077	1064	1495	2559	1497	2149	3646
	योग	64631	50299	114930	74183	62037	136230	4956	8304	13260	5447	10264	15711

2.6 शुद्ध नामांकन अनुपात (वर्ष 2002-03)

6–14 आयु वर्ग के जिले के बालक–बालिकाओं का शुद्ध नामांकन निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	अनामांकित बच्चे	शुद्ध नामांकन दर(100– अनामांकित बच्चे)
1	बकानी	23.55%	76.45%
2	खानपुर	9.37%	90.63%
3	म.थाना	23.59%	76.41%
4	डग	7.93%	92.07%
5	झा.पाटन	13.94%	86.06%
6	सुनेल	30.79%	69.21%
	योग	16.53%	83.47%

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.7 सकल नामांकन अनुपात (वर्ष 2002-03)

ब्लॉक वार सकल नामांकन कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का निम्नानुसार हैं

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6–14			नामांकन कक्षा 1 से 8			सकल नामांकन अनुपात		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	बकानी	18496	17334	35830	20208	9356	29564	109.25	53.97	82.51
2	खानपुर	17104	12373	29477	18809	13784	32593	109.96	111.40	110.57
3	म.थाना	24679	19710	44389	19431	13083	32554	78.73	66.37	73.33
4	डग	19534	15896	35430	18444	12603	31047	94.41	79.28	87.62
5	झा.पाटन	41262	32829	74091	32857	25650	58501	79.63	78.13	78.95
6	सुनेल	17739	15498	33237	19703	14108	33811	110.07	91.03	101.72

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

सकल नामांकन शुद्ध नामांकन से अधिक हैं क्योंकि इसमे 6 से कम आयु वर्ग के एवं 14 से अधिक आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं का नामांकन भी सम्मिलित हैं।

.8 ठहराव दर

1995–96 में कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद 2002 में कक्षा 8 में कितने बालक–बालिका अध्ययनरत हैं इसका विवरण ठहराव दर तालिका से स्पष्ट किया गया है।

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1 में नामांकन 1995-96			कक्षा 8 में नामांकन (2002–03)			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	बकानी	3978	3109	7087	799	322	1121	20.08	10.35	15.81
2.	खानपुर	2764	2580	5344	790	341	1131	28.58	13.21	21.16
3.	म.थाना	4018	3725	7743	785	290	1075	19.53	7.78	13.88
4.	डग	4115	3296	7411	761	304	1065	18.49	9.22	14.37
5.	झा. पाटन	6771	5262	12035	862	345	1207	12.73	6.55	10.02
6.	सुनेल	3902	3446	7348	813	307	1120	20.83	8.90	15.24
	योग	25548	2148	46966	4810	1909	6719	18.82	8.91	14.30

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बकानी/डग/झा.पाटन/म.थाना/सुनेल/खानपुर)

जिले की बालकों की ठहराव दर 18.82 एवं बालिकाओं की 8.91 है, जो किसी भी दृष्टि से संतोषप्रद नहीं है।

सकमण दर कहलाती हैं, इस जिले की संक्रमण दर को कक्षावार निम्न सारणीयों द्वारा स्पष्ट किया गया:–

श्रेणी	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
नामांकन वर्ष 2001–02	59318	46993	38514	24831	20808	11033	9814	6719
नामांकन वर्ष2002 –03	70368	58696	40897	30137	19341	12592	10888	7668
संक्रमण दर	–	98.95%	87.03%	78.25%	77.89%	60.51%	98.68%	78.13%

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.10 पुनरावृत्ति दर :–

संलग्न सारणी में अनुत्तीर्ण लम्बे समय से विद्यालय नहीं आने वाले एवं पुनः प्रवेश बालकों के अध्ययन संबंधी जानकारी को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है–

कक्षा	1			2			3			4			5			6			7			8		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पिछले वर्ष नामांकन	30645	24057	54702	28566	15158	43724	17635	12704	30339	12800	9305	22105	10855	7426	18281	7815	2496	10311	6920	2214	9134	4565	2125	6690
उत्तीर्ण छात्र	25803	21190	46993	21959	16555	38514	15064	9767	24831	13036	7772	20808	8712	5321	14033	7771	2037	9808	4810	1909	6719	3620	1705	5325
पुनः नामांकन	4842	2867	7709	6607		5210	2571	2937	5508		1533	1297	2143	2705	4248	44	459	503	2110	305	2415	945	420	1365
पुनरावृत्ति दर	15.80	11.92	14.09	23.13		23.13	14.58	23.12	18.15		16.48	5.87	19.75	28.3	23.24	20.56	18.42	4.88	30.5	13.77	26.45	20.70	19.76	20.40

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

2.11 अध्यापकों की स्थिति :

जिले में स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण (वर्ष 2002–03) निम्नानुसार हैं –

2.11.1 विद्यालयवार विवरए

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.	रा.गा.स्व.ज.पा.	उ.प्रा.वि.	शिक्षाकर्मी	संस्कृत	योग
1.	बकानी	379	81	247	29	18	754
2.	खानपुर	334	28	323	19	4	708
3.	म.थाना	427	69	299	32	8	835
4.	डग	430	44	249	23	15	761
5.	झा.पाटन	618	30	530	60	12	1250
6.	सुनेल	446	14	371	15	4	850
	योग	2634	266	2019	178	61	5158

(स्त्रोत्– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़)

2.11.2 कार्यरत, स्वीकृत एव रिक्त पदों का विवरण(2002–03) :–

क.सं.	ब्लॉक	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			राजीव गांधी पाठशाला		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	झा.पाटन	618	566	52	530	505	25	30	30	–
2.	खानपुर	334	312	22	323	306	17	28	28	–
3.	म.थाना	427	333	94	299	217	82	69	69	–
4.	सुनेल	446	364	82	371	293	78	14	14	–
5	डग	430	274	156	249	165	84	44	44	–
6	बकानी	379	335	44	247	224	23	81	81	–
	योग	2634	2184	450	2019	1710	309	266	266	–

(स्त्रोत्– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़)

12 अध्यापक छात्र अनुपात (T.P.R.)

संलग्न सारणी में प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजीव गांधी विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण (T.P.R.) द्वारा दर्शाया गया है । (वर्ष 2002–03)

ब्लॉक	प्रा.वि			उ.प्रा.वि.			रा.गा.स्व.ज.पाठ.		
	नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी. पी. आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी. पी. आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी.पी. आर.
बकानी	10416	335	1:31	11616	224	1:52	4349	81	1:54
खानपुर	10768	312	1:35	11908	306	1:39	1517	28	1:54
म.थाना	13312	333	1:40	13026	217	1:60	4282	69	1:62
डग	15990	274	1:58	14558	165	1:88	2341	44	1:53
झा.पाटन	19602	566	1:35	18214	505	1:36	1512	30	1:50
सुनेल	14233	364	1:39	13364	293	1:46	784	14	1:56

(स्त्रोत्– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़)

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में डाईट एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में कार्य कर रहां हैं विगत 2–3 वर्षो से आठवीं बोर्ड का कार्य डाईट द्वारा संम्पादित कराया जा रहा है। झालावाड़ जिले में डाईट राज्य में प्रथम चरण में स्थापित की गई थी। यह झालरापाटन नगर में मदन विलास भवन परिसर में स्थित हैं। डाईट के कार्य, स्टॉफ–सरंचना, गतिविधियों आदि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं–

ान के दायित्व

जिले के सेवारत शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु सघन एवं विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

2. शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को गति प्रदान करना
3. पाठ्यक्रम समीक्षा तथा अधिगम सामग्री निर्माण, मूल्यांकन तकनीकी का विकास एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु पाठों का आयोजन करना।
4. शैक्षिक अनुसंधान को गति प्रदान करना तथा उसका प्रकाशन करवाना
5. ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों एवं ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का प्रशिक्षण एवं अभिनवन।
6. अधिगम सामग्री का निर्माण एवं विकास करना।
7. राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षा कर्मियों को बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण आयोजित करना।
8. पैरा टीचर का प्रशिक्षण आयोजित करना।
9. जिले के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना।

स्टॉफ पैटर्न – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,झालरापाटन में स्वीकृत पद निम्न प्रकार से हैं

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद सं0	विभाग में समकक्ष
1.	प्रधानाचार्य	01	जि0शि0अधिकारी
2.	उप प्रधानाचार्य	01	प्रधानाचार्य
3.	वरिष्ठ व्याख्याता	04	उप प्रधानाचार्य
4.	व्याख्याता	13	व्याख्याता
5.	कार्यालय अधीक्षक	01	कार्यालय अधीक्षक
6.	लेखाकार	01	लेखाकार
7.	कार्यालय सहायक	01	कार्यालय सहायक
8.	स्टेनों	01	स्टेनों
9.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	सा.निरीक्षक
10.	वरिष्ठ लिपिक	01	वरिष्ठ लिपिक
11.	पुस्तकालयध्यक्ष(9ए)	01	पुस्ताकलयध्यक्ष(9ए)
12.	प्रयोगशाला सहायक	01	प्रयोगशाला सहायक
13.	कनिष्ठ लिपिक	05	कनिष्ठ लिपिक
14.	वर्कशाप सहायक(6)	01	वर्कशाप सहायक
15.	टेक्नीशियन (5)	01	टेक्नीशियन
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	05	च.श्रे.कर्मचारी
		39	

(स्त्रोत्– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झा.पाटन)

संस्थान के प्रभाग एवं उनके कार्य

कार्यानुभव प्रभाग **(W.E.)** –

- ❖ कार्यानुभव आधारित शिविरों का आयोजन करना।
- ❖ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, प्रभावी प्रार्थना सभा एवं कला शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- ❖ स्थान के सभी प्रभागों को कार्यानुभव की गतिविधियों से जोड़ना।
- ❖ बालकों में ज्ञानार्जन के साथ श्रम के प्रति निष्ठा और सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षत करना।
- ❖ शिक्षकों तथा छात्रों हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

जिला संदर्भ इकाई प्रभाग **(D.R.U.)**-

- ❖ राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करना।
- ❖ जनसंख्या शिक्षा, विकलांग ऐकीकृत शिक्षा, विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ❖ पैरा टीचर्स प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ❖ लेब ऐरिया में शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास करना।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःकिया, नवाचार एवं समन्वय प्रभाग**(I.F.I.C.)**

- ❖ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ❖ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित अंग्रेजी प्रशिक्षण तथा विशेष अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित करना
- ❖ हिन्दी, संस्कृत विषयों के प्रशिक्षण, कियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- ❖ राज्य स्तरीय अनुसंधान बैठकों का आयोजन।
- ❖ समन्वय समिति बैठक का आयोजन।
- ❖ प्रकाशन तथा प्रसार के अंतर्गत साम्री वितरण, ब्लॉक बैठकों का आयोजन तथा पत्र–वाचन एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करना।

शिक्षाक्रम, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग (C.M.D.E.)

- ❖ इस प्रभाग का प्रमुख उद्धेश्य उद्धेश्यनिष्ठ पाठ्यक्रम का विकास करना हैं।
- ❖ कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों व शिक्षाक्रम की समीक्षा करना।
- ❖ आनन्ददायी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जन–प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड प्रश्न–पत्रों का निर्माण एवं अनुसीमन एवं क्विज़ प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- ❖ अधिगम सामग्री निर्माण एवं चयनित विद्यालयों का अवलोकन एवं तद्स्थलीय मार्गदर्शन।

शैक्षिक प्रोद्योगिकी प्रभाग (E.T.)

- ❖ सभी स्तर के शिक्षकों में प्रशिक्षणों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
- ❖ गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ❖ शैक्षिक निर्देशन एवं पर्यावरण मेले संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
- ❖ अल्प व्यय एवं परिवेशगत शिक्षण सामग्री तैयार करवाना।
- ❖ शैक्षिक प्रोद्योगिकी एवं नवीन तकनीकी साधनों का ज्ञान प्रधान करना।

आयोजना एवं प्रबंध प्रभाग (P.&M.)

- ❖ प्रधानाध्यापक, शाला संकुल प्रधानों एवं खण्ड स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ❖ विद्यालय एवं संकुल योजना निर्माण एवं मूल्यांकन में सहायता करना।
- ❖ शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से परिचित कराना।
- ❖ मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ❖ 8 वीं बोर्ड का परिवीक्षण कार्य सम्पन्न करवाना।

सेवा पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग **(P.S.T.E.)**

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का सेवापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के शिक्षा सहयोगियों एवं शिक्षा कर्मियों के लिए बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण आयोजित करना।
- संस्थान के अन्य प्रभागों के लिए संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना एवं सहयोग प्रदान करना।

वर्ष 2002–03में सम्पादित होने वाले प्रभाग वार कार्यक्रमों का विवरण निम्न सारणी में स्पष्ट किया गया है–

14 विद्यालयों की भौतिक स्थिति :–

जिलें में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजीव गांधी विद्यालयों की भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, हैंण्ड पम्प एवं नल सुविधा की मांग एवं योजना अवधि में प्रस्तावित कार्यो का विवरण संलग्न सारणियों में दर्शाया गया है–

2.14.1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

क.सं.	ब्लॉक	भवन विहीन विद्यालय	अति.कक्षा कक्ष	शौचालय	हैंण्ड पम्प	नल कनेक्शन
1	झालरापाटन	60	167	121	80	1
2	खानपुर	40	80	80	80	4
3	सुनेल	40	80	80	80	10
4	डग	40	80	80	80	4
5	बकानी	40	80	80	80	4
6	मनोहरथाना	40	80	80	60	1

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी/डग/झा.पाटन/म.थाना/सुनेल/खानपुर)

2.14.2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क.सं.	ब्लॉक	भवन विहीन विद्यालय	अति.कक्षा कक्ष	शौचालय	हैंण्ड पम्प	नल कनेक्शन
1	झालरापाटन	6	185	21	108	15
2	खानपुर	4	150	20	60	5
3	सुनेल	2	150	20	60	5
4	डग	4	150	20	60	5
5	बकानी	4	150	20	60	4
6	मनोहरथाना	4	100	10	60	3

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी/डग/झा.पाटन/म.थाना/सुनेल/खानपुर)

14.3 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला

क.सं.	ब्लॉक	भवन विहीन विद्यालय	अति.कक्षा कक्ष	शौचालय	हैंण्ड पम्प	नल कनेक्शन
1	झालरापाटन	23	14	45	22	
2	खानपुर	21		42	28	
3	सुनेल	25	1	38	31	2
4	डग	65	5	85	74	
5	बकानी	35	2	50	32	2
6	मनोहरथाना	55	6	73	50	
	योग	224	28	333	237	4

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी/डग/झा.पाटन/म.थाना/सुनेल/खानपुर)

15 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढॉचा

झालावाड़ जिले में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का जिला स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी एवं प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हैं जिसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उसके अधीन दो अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं ये कार्यालय पूरे जिले की प्रारम्भिक शिक्षा का परिवीक्षण बजट निर्माण तथा शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एवं मार्गदर्शन करता है।

ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यरत है जिनके अधीन 2–3 अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने ब्लॉक के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन आहरण–वितरण, स्थानान्तरण, संस्थापन तथा विद्यालय परिवीक्षण आदि कार्य करते हैं।

ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों एवं जन–प्रतिनिधियों की ब्लॉक शिक्षा समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद में जिला शिक्षा स्थापना समिति होती हैं, जो शिक्षा संबंधी नीतियों पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं नीति निर्धारण संबंधी कार्य करती है।

16 अन्य शैक्षिक योजनाये :–

जिले में संचालित अन्य शैक्षिक योजनाएँ निम्न हैं :–

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) :– राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/अनुदानित/स्वायत शासी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी पाठ शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरएा, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धि करना, विद्यार्थियों को स्कूल में ठहराव सुकनश्चित करना तथा विद्यार्थियों को पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना हैं।

पात्रता : राष्ट्रीय पोषाहार योजना कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 3 किलोग्राम खाद्य सामग्री(गेहूँ) प्रति माह प्रति छात्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी : प्रधानाध्यापक–प्राथमिक विद्यालय, खएड़ शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, विकास अधिकारी पंचायत समिति, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिशद्, जिला कलक्टर, निदेशक पंचायती राज विभाग।

जाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन :–

योजनान्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाति है ताकि जनजाति छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मेंधावी छात्राओं तथा अन्य छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रत्येक जनजाति छात्रा को 2500/– रूपये एकमुश्त (250 रूपये प्रतिमाह 10 माह हेतु) प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में प्रोत्साहन राशि देय है। एक छात्रा को एक ही कक्षा में दो बार लाभान्वित नही किया जावेगा। अर्थात यदि छात्रा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसे उसी कक्षा में पुनः लाभान्वित नही किया जावेगा। छात्राऐं जिस जिलें में अध्ययनरत है उसी जिलें के जिला ग्रामीएा विकास अभिकरएा द्वारा लाभान्वित किया जावेगा। कार्यक्रमान्तर्गत यदि छात्रा के माता–पिता आयकर दाता हो तो प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए छात्रा महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से अभिकरएा को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगी। आवेदन पत्र में छात्रा का नाम, पिता का नाम, स्थाई निवास का पता, कोर्स का नाम, कोर्स की अवधि, कक्षा जिसमें छात्रा अध्ययनरत है, महाविद्यालय का नाम, गत उत्तीएा परिक्षा (प्राप्तांक एवं प्रतिशत मय श्रेणी) पत्र व्यवहार का पता, आदि विवरएा सम्मिलित किया जावेगा, आवेदन पत्र के साथ गत वर्ष उत्तीएा परीक्षा की अंक तालिका, जाति प्रमाएा पत्र, संबंधित अधिकारी का संलग्न किया जावेगा।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति :– जनजाति विद्यार्थियों में प्रतिर्स्पर्द्धा बढ़ाने एवं प्रतिभा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड/विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेएाी उत्तीएा विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रतिभावान छात्रवृत्ति दी जाती है।

कक्षा 10 व 12 एवं स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेएाी उत्तीर्एा कर कक्षा 11 प्रथम वर्ष स्नातक एवं स्नात्कोत्तर पूर्वाद्ध में नियमित रूप से अध्ययनरत पर 2500/– (250 /– रूप्ये की दर से 10 माह हेतु) एक मुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है।

यदि जन जाति विद्यार्थी के माता–पिता आयकर दाता है तो छात्रवृत्ति देय नही होगी।

अन्य शैक्षिक सुविधाएँ :– जिले में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने ओर सार्वजनीकरण करने हेतु शिक्षा कर्मी परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) परियोजना संचालित हैं, इन परियोजनाओं द्वारा शिक्षा कर्मी विद्यालय / वैकल्पिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, इसके साथ–साथ डी.पी.ई.पी. द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भौतिक रूप से समृद्ध करने हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं। डी.पी.ई.पी. द्वारा प्रशिक्षण, निर्माण कार्य तथा अन्य सुविधाओं से शिक्षकों एवं अभिभावकों में नई जागृति का भाव पैदा हुआ हैं।

अध्याय – 3

योजना प्रक्रिया

भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान की आठ वर्षीय प्रस्पेक्टिव योजना में योजना प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अध्याय हैं। इस अध्याय में ग्राम, संकुल, ब्लॉक तथा जिला स्तरीय विभिन्न बैठकों में उभरने वाले मुद्दे तथा आवश्यकताऐं योजना को प्रमुखता से प्रभावित करती है। आवश्यकताऐं स्थान विशेष की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। इनकों एक ग्राम/ ब्लॉक को आधार मानकर सम्पूर्ण ग्रामों/ब्लॉकों की आवश्यकताऐं निर्धारित नहीं की जा सकती। यहीं तथ्य योजना विशिष्ट एवं क्षेत्रपरक स्वरूप प्रदान करता है। संक्षेप में योजना प्रक्रिया की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा रहां है :–

i. योजना में समाज के सभी वर्गो की भागीदारी एवं जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु।

ii. योजना निर्माण प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं लक्ष्य आधारित बनाने हेतु।

iii. उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु।

iv. प्राप्त आवश्यकताओं को संकलित कर लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करने हेतु।

v. लक्ष्यों एवं उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु व्यूह रचना एवं विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने हेतु।

vi. तृणमूल स्तर(Grass Root Level)पर योजना निर्माण सुनिश्चित करने हेतु।

योजना समितियों का गठन :–

जिलें में विभिन्न स्तरों पर आवश्यकताओं के आकलन हेतु ग्राम/ब्लॉक/जिला स्तर पर योजना समितियों का गठन कर बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में संक्षिप्त परिचयात्मक जानकारी दी जा कर सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं महत्व स्पस्ट किया गया। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान में आवश्यकता निर्धारित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। मिटिंग/बैठकों के सभी उपस्थित सदस्यों के खुलकर विचार प्रकट करने की आजादी एवं स्थितियां निर्मित की

DOC, N

गई। प्राप्त विचारों को लेख बद्ध कर पूरी बैठक का दस्तावेजीकरण तैयार किया गया बैठक के दस्तावेज में प्रलेखों को निम्नानुसार संकलित किया गया –

i. बैठक में उपस्थित सदस्यों का उपस्थिति विवरण।

ii. बैठक में चर्चा के बिन्दू एवं सदस्यों के विचार/सुझाव आदि।

iii. बैठक के मुख्य छाया चित्र।

iv. बैठक प्रतिवेदन।

ग्राम/शाला स्तर पर बैठक संकुल प्रभारी की देख–रेख एवं अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शाला स्तर पर गठित शाला प्रबन्धन समिति के सभी सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया तथा शाला एवं शाला से जुड़े गांवों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर चर्चा की। पूरे जिलें में 96 संकुल प्रभारियों द्वारा 192 शाला स्तर की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठके जुलाई 2002 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की गई।

ब्लॉक स्तर पर बैठकें जिलें के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित खण्ड संदर्भ केन्द्रों पर आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक शिक्षा समिति के सदस्यों/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी द्वारा पूरे ब्लॉक की प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया तथा ब्लॉक की चुनौतियों / अवरोधों पर बिन्दूवार सुझाव प्राप्त किये गये। इन बैठकों का प्रमुख आर्कषण जन–प्रतिनिधियों / समाज सेवी एवं शिक्षा विदों को सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जबरदस्त उत्साह एवं जागृति रहां। ये बैठके अगस्त 2002 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की गई।

दिनांक 25.08.2002 को जिला परिषद हॉल, झालावाड़ में जिला स्तरीय शाषी परिषद की बैठक में विभिन्न समस्याओं एवं डी.पी.ई.पी. के कार्यो की समीक्षा के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। डी.पी.ई.पी. झालावाड़ द्वारा निर्मित सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्पेक्टिव योजना की आवश्कता, महत्व एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे में श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहायक परियोजना समन्वयक द्वारा विस्तार से सदन को अवगत कराया जन–प्रतिनिधियों, शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा विदों द्वारा जिलें के प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकताओं पर गहन विचार–विमर्श किया गया। पूरे जिलें में सर्व शिक्षा अभियान योजना के प्रति जबरदस्त उत्साह एवं जागरूकता जन समुदाय एवं आम नागरिक की शिक्षा के प्रति बढ़ती रूचि को बार–बार रेखांकित करती है।

जिला, ब्लॉक, विद्यालय स्तर की समितियों में होने वाले सदस्यों/अध्यक्ष/सचिव निम्नानुसार हैं :–

जिला स्तर पर :–

1. जिला प्रमुख (अध्यक्ष)
2. जिला परियोजना समन्वयक, ड़ी.पी.ई.पी., (सचिव)
3. जिला कलक्टर
4. जिला परिषद की शिक्षा समिति का सदस्य
5. परियोजना निदेशक, विकास
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. प्रधानाचार्य, डाईट
9. सेवानिवृत शिक्षाविद् (2)
10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी

ब्लॉक स्तर पर :–

1. प्रधान (अध्यक्ष)
2. ब्लॉक सन्दंभ केन्द्र प्रभारी, ड़ी.पी.ई.पी.(सचिव)
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
4. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.
7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
8. सेवानिवृत अध्यापक

(स) विद्यालय स्तर पर (शाला प्रबन्धन समिति) :–

शाला प्रबन्धन समिति के निम्न सदस्य है –

1. सरपंच/वार्ड पंच (अध्यक्ष)
2. प्र.अ.,प्रा.वि./उ.प्रा.वि./रा.गां.स्व.पा. (सचिव)
3. वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्यं)
4. ग्राम सेवक

5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
6. अध्यापक – 2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)
7. अभिभावक / संरक्षक –2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

विशेष आगन्तुक

8. ए.एन.एम.
9. सेवानिवृत कर्मचारी
10. सामाजिक कार्यकर्ता

इसके अलावा जिला स्तर पर योजना निर्माण की कोर टीम निम्नानुसार है–

1. जिला परियोजना समन्वयक
2. समस्त सहायक परियोजना समन्वयक
3. समस्त खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी
4. समस्त संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी
5. समस्त शाला प्रबन्धन समिति

शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं प्रमुख बिन्दुओ पर चर्चा हेतु आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	संभागियों का विवरण	बैठक में विचार विमर्श में चर्चित मुख्य बिन्दु
03.07.2002 से07.07. 2002	प्रत्येक संकुल के एक प्रा.एवं एक उ.प्रा.वि.स्तर पर	संकुल प्रभारी एवं शाला प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य	1.संकुल स्तर पर प्रा. स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की सूची तैयार करना। 2.शिक्षा से वंचित ग्राम वास स्थान में वैकल्पिंक विद्यालय / शिक्षा मित्र / ई.जी. एस. केन्द्र खोलना। 3.उ.प्रा.वि. में निर्माण कार्य एवं शैक्षिक सुविधाओं को देने

			बाबत चर्चा। 4.उ.प्रा.विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षणों के आयोजन पर चर्चा हेतु
11.08.2002 से 13.08. 2002	ब्लौक संदर्भ केन्द्र झा. पाटन/बकानी/खानपुर /सुनेल/डग/म.थाना	खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, प्रधान एवं ब्लॉक शिक्षा समिति के सदस्य, श्री ओम प्रकाश शर्मा, A.P.C.श्री राजेन्द्र **प्रकाश शर्मा, A.En.**	1.ब्लॉक स्तर पर 2:1 में प्रा.वि. को उ.प्रा.वि. स्तर पर कमोन्नत करने के प्रस्तावों पर चर्चा। 2.शाला विहिन ग्रामों/वास स्थानों में वैकल्पिक विद्यालयों/ब्रिज कोर्स/ई.जी.एस. खोलने पर चर्चा। 3.उ.प्रा.वि. में निर्माण कार्य पर चर्चा । 4.उ.प्रा.स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षणों पर चर्चा। 5.विद्यालय स्तरों पर बालकों के ठहराव एवं गुणवत्ता स्तर उन्नयन पर चर्चा।

25.08.2002	जिला परिषद हॉल, झालावाड़	जिला प्रमुख, विधायक, समस्त प्रधान, जिला शाषी परिषद जिला निष्पादन समिति, के सदस्य, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, प्रधानाचार्य, डाईट, जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.,डी.पी.ई.पी. के समस्त सहायक परियोजना समन्वयक, सहायक अभियंता एवं समस्त खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, डी.पी.ई.पी.	1.सर्व शिक्षा अभियान योजना की जानकारी, महत्व एवं उपयोगिता स्पष्ट करना। 2. जिले में 2:1 में प्रा. वि से उ.प्रा.वि. विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा। 3 .2003 तक सकल नामांकन 100 प्रतिशत एवं2007तक ठहराव 100 प्रतिशत करने पर चर्चा। 4.विद्यालयों में बालकों के गुणवत्ता स्तर उन्नयन पर चर्चा। 5.जिले में सर्व शिक्षा अभियान योजना में आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की जानकारी देना। 6.विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देना। 7. उ.प्रा.वि. में निर्माण कार्यो तथा प्रा.वि. में शेष रहे निर्माण कार्यो पर चर्चा करना।

.3 विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन एवं उनसे प्राप्त प्रतिवेदन :–

सर्व शिक्षा अभियान योजना से संबंधित माह जुलाई 2002 से 25 अगस्त 2002 तक चली ग्राम / ब्लॉक / जिला स्तरीय बैठकों में निम्न तथ्य प्रमुखता से उभर कर सामने आये जिनका विवरण संलग्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है –

आयोजित बैठकों का स्तर	बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाईयां	बैठक में सदस्यों द्वारा कठिनाईयों के निवारण हेतु दिये गये सुझाव	बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण		
			पुरूष	महिला	योग
ग्राम स्तर(96 संकुलों के 192 ग्रामों में आयोजित बैठकों के सुझाव)	1.उ.प्रा.वि. की संख्या बहुत कम हैं।	1.प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 – 3 उ.प्रा.वि. क्रमोन्नत किये जावे।	1275	826	2301
	2.उ.प्रा.वि. के भवनों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हैं।	2. उ.प्रा.वि. में मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवायें जावे			
	3.उ.प्रा.वि. में वांछित कक्षा कक्षों का अभाव हैं।	3.प्रत्येक उ.प्रा.वि. में न्यूनतम 8 कक्षा कक्ष निर्मित किये जावे।			
	4.उ.प्रा.वि. में शिक्षकों की संख्या मापदण्डों के	4. छात्रों को कक्षा वार शिक्षको की संख्या के हिसाब से शिक्षक लगाये			

	अनुसार नहीं हैं। 5.शिक्षा का गुणात्मक स्तर औसत से भी कम हैं।	जावे। 5.कक्षा में शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो तथा छात्रों को रूचिकर तरीके से पढाया जावे। 6.छात्रों को दिये गये ग्रह कार्य की ठीक प्रकार से जांच कराई जावे।			
ब्लॉक स्तर (11.08. 2002से 13.08. 2002तक)	1.प्रा.वि. के अनुपात में उ. प्रा. विद्यालयों की संख्या अत्यन्त कम हैं। 2.उ.प्रा.वि. में कक्षा कक्षों की संख्या अत्यन्त कम हैं। 3.ब्लॉक के कुछ उ.प्रा. विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं एक ही शिक्षक पदस्थापित हैं। 4.उ.प्रा.वि.में चार दिवारी का अभाव हैं	1.पूरे ब्लॉक में 2:1 में उ.प्रा.वि. कमोन्नत किये जावे। 2.अतिरिक्त कक्षा कक्ष दिये जावे। 3.प्रत्येक उ.प्रा.वि. में एक कक्षा हेतु एक शिक्षक दिया जावे। 4.विद्यालयों में चार दिवारी	109	45	154

	जिससे विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण हो रहा हैं। 5.प्रत्येक विद्यालय में उ. प्रा.शिक्षकों को पढ़ाने हेतु शिक्षण सामग्री का अभाव है।	निर्मित की जावे। 5.प्रत्येक उ.प्रा.वि. को सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जावे।			
जिला स्तर पर (25. 08.2002)	1.जिले में उ. प्रा.वि. की संख्या अत्यन्त कम है। 2.विद्यालय विहीन गांवों में बालकों को स्कूल से नहीं जोड़ा जा सका हैं। 3.जिले के लगभग तीस उ.प्रा.वि. जीर्ण–शीर्ण भवनों में चल रहें हैं। 4.अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्ष नहीं हैं।	1.निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय क्रमोन्नत किये जावे। 2.समुचित संख्या में वैकल्पिक विद्यालय / ब्रिज कोर्स / ई.जी. एस. केन्द्र खोले जावे। 3.इन विद्यालय के भवनों को उपयोग में लायक नहीं होने से इनको गिराकर नये भवन बनाये जावे। 4.छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा	42	15	57

		अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जावे।			
	5.उ.प्रा.वि. में सहायक सामग्री का अभाव हैं।	5(1).उ.प्रा.वि. को डी.पी.ई.पी. की भांति शिक्षकों को टी.एल.एम. राशि 500 रूपये दी जावे। 5(2).प्रत्येक उ.प्रा. वि. को विद्यालय सुविधा अनुदान राशि भी दी जावे।			
	6.शिक्षकों में रूचि का अभाव हैं तथा बालकों को खड़ा कर पाठ पढाते हैं।	6.शिक्षकों को विषय वार प्रशिक्षण दिया जावे।			

3.4 "शिक्षा आपके द्वार" :-

शिक्षा आपेक द्वार कार्यक्रम का शुभारम्भ 19 नवम्बर 2001 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत द्वारा ग्राम सभाओं के माध्यम से हुआ । इससे पूर्व जिला स्तरीय शिक्षा आपके द्वार अभिमुखीकरण कार्यशाला 05। नवम्बर 2001 को तथा 6 से 8 नवम्बर 2001 तक ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाऐं आयोजित कर शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी एवं वातावरण निर्माण किया गया। इसके उपरान्त प्रति माह बैठके आयोजित

कर शिक्षा आपके द्वार की कार्ययोजना निर्मित की गई तथा इसको लागू करने बाबत रणनीति तैयार की गई। "प्रशासन गॉवों के संग" के अन्तर्गत 26 जनवरी 2002, 15 मई 2002 एवं 15 अगस्त 2002 को आयोजित ग्राम सभाओं में अन्य मद्दो के साथ गॉवों की शैक्षिक समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले का शिक्षा दर्पण–2000 सर्वे का आदिनांक कर जिले में कुल शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की संख्या ज्ञात की गई तथा जुलाई 2002 में इन्हें विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना निर्मित की गई शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा प्रति माह की जाती है संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त द्वारा एवं राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा समीक्षा की जाती हैं।

दिनांक 22 से 28 फरवरी 2002 तक प्रतिदिन बाल–उत्सव के अन्तर्गत बाल–फिल्मों का प्रदर्शन कर जिले में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के प्रति बालकों एवं अभिभावकों में वातावरण निर्माण किया गया। इस उत्सव में बच्चों को निशुल्क बाल–फिल्में दिखाई गई । फिल्मों के दौरान डी.पी.ई.पी. द्वारा बालकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई । जिले में शिक्षा आपके द्वार अंतर्गत कुल बालक / बालिकाऐं तथा नामांकित बालक बालिकाऐं एवं शिक्षा से वंचित बालक / बालिकाओं का माह जनवरी 2002 में किये गये सर्वे का संख्यात्मक विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है–

ब्लॉक	बच्चों की संख्या 6–11 आयु वर्ग			बच्चों की संख्या 11–14 आयु वर्ग			अनामांकित 6–11			अनामांकित 11–14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग
झालरापाटन	18881	15023	33904	22381	17806	40187	659	1405	2064	619	1287	1906
खानपुर	8790	4698	13488	8314	7675	15989	370	886	1256	409	1098	1507
बकानी	8337	7466	15803	10159	8574	18027	1385	1830	3215	1672	3568	5240
सुनेल	8365	6845	15210	9374	8653	18027	466	1055	1521	215	900	1115
डग	8965	7247	16212	10569	8649	19218	1012	1633	2645	1035	1262	2297
मनोहरथाना	11293	9019	20312	13386	10691	24077	1064	1495	2559	1497	2149	3646
योग	64631	50299	114930	74183	62037	136230	4956	8304	13260	5447	10264	15711

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी,: बकानी/डग/झा.पाटन/म.थाना/सुनेल/खानपुर)

माह जुलाई 2002 तक कुल 28971 बालक / बालिकाओं में से 22899 बालक / बालिकाऐं नामांकित हो चुके हैं तथा 79.04 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हो चुकी हैं, शेष को

विद्यालयो से जोड़ने हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रयासों की चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

3.5 प्रशासन गांव / शहर के संग

राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2001 से तीन माह तक सघन अभियान प्रशासन गांव के संग लागू किया तथा 26 जनवरी 2002 से प्रशासन शहन के संग शुरू किये। इन दोनों अभियानों में ग्राम / शहर की विभिन्न समस्याओं का कैम्प लगा कर निदान किया। इन समस्याओं में शैक्षिक समस्याऐं भी शामिल हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न ग्राम / वास स्थानों में राजीव गांधी पाठशाला खुलने तथा पैराटीचर के चयन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

इसी के साथ राज्य सरकार ने 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी तथा 20 मई को पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाऐं आयोजित की इन ग्राम सभाओं में अनेक शैक्षिक एवं विद्यालय संचालन संबंधी शिकायतों को प्राप्त कर मौके पर उनका पंजीकरण किया गया तथा समस्याओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से हल करवाया गया। शैक्षिक समस्याओं का निदान जिला शिक्षा अधिकारी तथा डी.पी.ई.पी. के माध्यम से किया गया।

3.6 सामाजिक सर्वेक्षण :-

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिष्द के मार्गदर्शन में I.I.R.D.संस्था द्वारा जिले में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों का सामाजिक सर्वेक्षण किया गया। सामाजिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्धेश्य पिछड़े लोगों की कठिनाईयों की प्रकृति का पता लगाना, कठिनाईयों के मुख्य कारणों का आंकलन करना कठिनाईयों को निवारण किये गये पूर्व में कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगाना इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता तथा कमियों का पता लगाना तात्कालिक स्तर पर किये जाने वाले कदमों की प्राथमिताऐं तय करना एवं इन समूहों के कठिनाईयों के निवारण हेतु उपयुक्त रणनीति तैयार करना था।

सामाजिक सर्वेक्षण समूहों द्वारा अपने अध्ययन में चार गांवों का चयन सर्वेक्षण हेतु किया गया। ये गांव अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के न्यूनतम साक्षरता वाले, अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले तथा उच्चतम साक्षरता दर वाले गांव थे।

सर्वेक्षण दल द्वारा न्यून नामांकन, विद्यालय परित्याग(ड्राप आउट) तथा न्यून उपलब्धि स्तर के कारणों का पता लगाया गया एवं इन कार्यो के निदान हेतु रणनीति प्रस्तुत की गई।

सर्व शिक्षा अभियान में इस सर्वे के निष्कर्षो को यथावत रूप से स्वीकार किया गया हैं तथा इस प्रकार के दोबारा सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही हैं।

3.7 बेस लाईन सर्वे

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के मार्ग निर्देशन में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रत्येक डी.पी.ई.पी. जिलों में डाईट के माध्यम से बेस लाईन सर्वे करवाया गया। बेस लाईन सर्वे 6–11 आयु वर्ग के बालकों के प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि स्तर का पता लगाने हेतु किया गया था।

बेस लाईन सर्वे द्वारा कक्षा–1 कक्षा–4 के बालकों में भाषा शिक्षा एवं गणित विषयों के प्राप्तांकों की जांच की गई।

जांच निष्कर्षो को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है–

कक्षा	विषय	उपलब्धि स्तर
1	भाषा शिक्षा(शब्द ज्ञान)	55.06%
1	गणित	54.25%
4	भाषा शिक्षा(शब्द ज्ञान)	51.29%
4	भाषा शिक्षा(पठन क्षमता)	35.31%
4	गणित	25.21%

(स्त्रोत्– S.I.E.R.T., उदयपुर)

बेस लाइन सवे द्वारा अभिभावकों के शिक्षा स्तर एवं उपलब्ध शिक्षण अधिगम् सामग्री बाबत भी अध्ययन किया गया । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उ.प्रा. स्तर के बालकों का भी उपलब्धि स्तर का सर्वे शीघ्र ही करवाया जावेगा।

3.8 समस्यायें एवं मुख्य मद्दें :–

पिछले दशक में जिले की साक्षरता दर बहुत कम थी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषी था । शहरी जनसंख्या विशेष तौर से व्यापार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों से जुड़ी हुई थी, जिलें की लगभग 20 प्रतिशत आबादी (बच्चों को

सम्मिलित करते हुये) श्रमिक वर्ग की थी, गॉवों में महिलाये घरेलु, कार्यो से जुड़ी हुई थी श्रमिक एवं कृषक संवर्ग के लोग अपने बच्चों कि शिक्षा के प्रति कम जागरूक थे ।

जिले में शिक्षा से संबंधित समस्याऐं एवं मुख्य मुद्दे निम्न क्षेत्रों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया हैं –

3.8.1 शिक्षात्मक पहुॅच एवं नामांकन :–

अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता न होने से वह बच्चों को विद्यालय में प्रवेश व शिक्षा से जोड़ने में रूचि नहीं रखते थे, इस समस्या का गॉवों में विशेष रूप से सामना करना पड़ता है पहुंच एवं नामांकन की समस्याओ के निम्न कारण हैं –

(क) निरक्षरता एवं अभिभावकों की अज्ञानता :–

माता–पिता के निरक्षर व शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं समझते फलस्वरूप जिले के कई विद्यालय जाने योग्य बालक विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह जाते है ।

(ख) शिक्षा की अनुपयोगिता :–

अभिभावकों में ऐसी भ्रांत धारणा है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी युवक युवतीयों को नौकरी के लिये दर–दर भटकना पड़ता है, इस भ्रांतिपूर्ण विचारधारा के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में हिचकते है ।

(ग) विद्यालयों में सुविधाओं की कमी :–

कुछ विद्यालय भवन विहीन है तथा कुछ विद्यालय किरायें के भवनों में चल रहे है इसलिये अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें नहीं है, वर्षा ऋतु में विद्यालय भवनों में पानी टपकता है तथा कुछ विद्यालय खिड़की व दरवाजों का भी अभाव है ।

(घ) विद्यालयों की अपर्याप्तता

जिले में अभी भी पर्याप्त मात्रा में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय नहीं होने से अधिकांश बालक / बालिकाऐं कक्षा 5 पास कर पढना छोड़ देते हैं।

(ड.) विद्यालय भवनों की स्थिति :–

कुछ विद्यालय भवन सड़क के किनारे स्थित होने के कारण दुर्घटना का अंदेशा बना रहने के कारण भी अभिभावक बालकों को स्कूल नहीं भेजते है। शिक्षक की रूचि एवं ज्ञान का अभाव भी बच्चों को विद्यालय आने के लिये भी आकर्षित नहीं करता है ।

(च) मवेशियों का चराना :– 6–11 वर्ष के अधिकांश बच्चे दिन में अपने पालतु मवेशियों का चराने का काम करते है ।

(छ) घरेलु कार्य :–

6–11 आयु वर्ग के बालक (विशेषतया बालिकायें) गृह कार्य से व्यस्त रहते है ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकायें अपने छोछे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जाते है ।

(ज) गरीबी :–

गरीबी भी एक मुख्य कारण है जिससे बालक बालिका शिक्षा से जुड़ने से वंचित रह जाते है गरीबी के कारण 6–11 वर्ष के बालक परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिक के रूप में कार्य करने लगते है।

(झ) लिंग संवेदनशीलता :–

समाज में बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है अतः बालिका को बालक अपेक्षा परिवार में भी कम महत्व दिया जाता है । बालिका को दूसरे परिवार की धरोहर समझा जाता है अतः बालिका शिक्षा पर किये गये व्यय को व्यर्थ माना जाता है ।

(ञ) बाल विवाह :–

कुछ समुदायो मे बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है जिसके कारण भी 6–11 वर्ष के बालक बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते है ।

3.8.2 ठहराव :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में नामांकन के बाद दूसरी आवश्यकता ठहराव की है ।सामान्यतया जुलाई अगस्त माह में वातावरण की गतिविधियों के कारण अधिकांश बालक विद्यालय में प्रवेश ले लेते है परन्तु कुछ महिनो अथवा दिनों के बाद विद्यालय विभिन्न कारणों (यथा विद्यालय में सुविधाओं का अभाव, अनाकर्षक वातावरण शादी के कारण पलायन आदि) से विद्यालय छोड़ देते है ।

3.8.3 शिक्षा की गुणवत्ता :–

छात्र को विद्यालय में घर जैसा तथा आकर्षक वातावरण मिलना चाहिये परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में वस्तु स्थिति इसके विपरित है, बच्चों के विद्यालय में ठहराव न होने के निम्न कारण है :–

- ✓ अध्यापक द्वारा रूचि नहीं लेना ।
- ✓ अनाकर्षक पुस्तकें ।
- ✓ लिंग भेद, जात पात तथा धर्म के प्रति संवेदनशीलता ।
- ✓ शिक्षकों के अभिनवन प्रशिक्षणों का अभाव ।
- ✓ उचित पर्व्येक्षण का अभाव ।
- ✓ उचित मूल्यांकन का अभाव ।
- ✓ बोझिल पाठ्यक्रम ।
- ✓ अनाकर्षक शिक्षण विधियां ।
- ✓ शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव ।

3.8.4 संस्थागत क्षमताओं का विकास–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलें में डाईट, जिला शाषी परिषद, जिला निष्पादन समिति, खण्ड संदर्भ केन्द्र, संकुल संदर्भ केन्द्र, संकुल संदर्भ समूह शाला प्रबंधन समिति, भवन निर्माण समिति आदि संस्थाओं की संकल्पना को स्वीकार करते हुए इनको गठित करने एवं सुदृण करने का प्रयास किया गया हैं। पर्याप्त स्टाफ की कमी, समय का अभाव तथा शैक्षिक मार्गदर्शन के अभाव में इनसे समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान में इनके महत्व को स्वीकार किया गया हैं।

अध्याय – 4

लक्ष्य एवं उद्धेश्य

भूमिका

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इसके लिए सतत प्रयास भी किये जा रहे है। विभिन्ना योजनायें, परियोजनाएँ तथा अभियान भी समय–समय पर संचालित की जाती रही है। किन्तु कटु यथार्थ यह है कि आज तक इस लक्ष्य को नही प्राप्त किया जा सका हैं। भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन के बाद सबको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया हैं तथा 10 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। 2 अक्टूबर, 2001 से भारत सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना लागू की हैं।

पंचायती राज के 76 एवं 77वें संशोधन से शिक्षा का विषय जन–प्रतिनिधियों के हाथ में दिया गया है, जिससे प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निर्धारित समय अवधि में प्राप्त किया जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्धेश्य :–

- वर्ष 2003 तक 6–11 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/वैकल्पिक/ शिक्षा गांरण्टी स्कीम विद्यालय/वापस स्कूल चलों शिविर में दाखिल हो।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा पर ब्बल देते हुए प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने का प्रयास करना।
- लिंग एवं सामाजिक विषमताओं को 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा स्तर तक दूर करना।
- 2010 तक सार्वजनीक ठहराव सुनिश्चित कररना।

जिला के लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना की जिला आधारित विषमताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय सीमा अवधि में लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई हैं।

झालावाड़ जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को पहुंच, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता के अंतर्गत निर्धारित किया हैं, इनका विवरण निम्नानुसार हैं।

3.1 पहुंच

वर्तमान में जिले में उच्च प्राथमिक स्तर की पर्याप्त शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है। जिले में 875 प्राथमिक, 283 उच्च प्राथमिक, 337 राजीव गांधी, 99 शिक्षा कर्मी तथा 75 डी.पी.ई.पी. के वैकल्पिक विद्यालय(6 घंटे) संचालित हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है–

- प्रत्येक 1 कि.मी. दूरी, 250 आबादी एवं 40 वंचित छात्र संख्या पर 1 प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।
- 3 कि.मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक स्तर की विद्यालय सुविधा देना।
- जिले में 2:1 में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करना। इस हेतु जिले में 293 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने हैं।

3.2 नामांकन

जिले में डी.पी.ई.पी. योजना द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु गंभीर प्रयास किया जा रहा है। परन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित सुधार की आवश्यकता हैं। जिले में नामांकन के लक्ष्य निम्न हैं–

- सन् 2003 तक शत् प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा करना। इस नामांकन लक्ष्य में 2003 से 2010 तक जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप बढ़े हुए बालक–बालिकाओं को भी प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ना है। अतः 2010 तक की बालकों की प्रकल्पित आबादी की गणना कर लक्ष्य तय करना।

3.3 ठहराव

जिले में ठहराव एक चुनौती पूर्ण समस्या हैं नामांकन की नियमितता बिना ठहराव के संभव नहीं है। ठहराव के लक्ष्य निम्न हैं –

- 2007 तक प्राथमिक स्तर तक 100 प्रतिशत नामांकित बालकों का ठहराव सुनिश्चित करना।
- 2010 तक 100 प्रतिशत नामांकित बालक–बालिकाओं का उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव सुनिश्चित करना। इस हेतु वर्ष वार लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2010 तक 100

प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचना हैं। लक्ष्यों को वर्ष वार प्रकल्पित किया जाना हैं, ताकि उनकी उपलब्धि की जांच एवं समीक्षा संभव हो सके।

3.4 गुणात्मक सुधार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 1998 में डी.पी.ई.पी. जिलों में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के मार्ग निर्देशन में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान(S.I.E.R.T.), उदयपुर द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(DIET) से बेस लाईन सर्वे करवाया गया था। उक्त सर्वे में जिले के चयनित विद्यालयों में सर्वे कर प्राथमिक स्तर के बालक–बालिकाओं का उपलब्धि स्तर ज्ञात किया गया था।

इसी उपलब्धि स्तर को आधार बनाकर डी.पी.ई.पी. ने 25 प्रतिशत भाषा एवं गणित में उपलब्धि अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था। सर्व शिक्षा अभियान ने इस लक्ष्य को स्वीकार करते हुए इसी प्रकार का उच्च प्राथमिक स्तर का भी बेस लाईन सर्वे कराना तय किया हैं, ताकि 2010 तक 25 प्रतिशत उपलब्धि स्तर उच्च प्राथमिक स्तर तक प्राप्त किया जा सके।

उपलब्धि स्तर प्राप्त करने हेतु अनेक प्रशिक्षणों गतिविधियों एवं उत्प्रेरकों का प्रयोग कर छात्रों का शैक्षिक उन्नयन संबंधी गतिविधियां सम्पादित की जावेगी।

अध्याय – 5
पहुंच एवं ठहराव

5.1 भूमिका

इस अध्याय में झालावाड़ जिलें में प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. स्तर की शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं बालकों के नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं का विवेचन किया गया हैं।

जिले के भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां पहले से विद्यालयों जुड़े बालक–बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख दायित्व हैं वहीं दूसरी ओर अभी तक विद्यालयों से वंचित बालक एवं बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उनकी आवश्यकता अनुरूप शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने का गुरूत्तर कार्य भी हैं। इन्हीं सब बिन्दूओं का विस्तार से विवेचन इस अध्याय में किया गया हैं।

5.2 पहुंच दर

पहुंच दर से तात्पर्य प्रा.वि. एवं उ.प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा सुविधा जिले के कितने गांव तक उपलब्ध हैं। इसके अनुपात से हैं। गणितीय रूप से पहुंच दर को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता हैं –

प्रा.विद्यालय हेतु पहुंचदर (G.A.R.) =

$$\frac{\text{कुल गांव की संख्या जहां पर प्रा.वि. एवं उ.प्रा.स्तर की शैक्षिक सुविधा हैं}}{\text{जिलें के कुल गांव की संख्या}} \times 100$$

उ.प्रा.विद्यालय हेतु पहुंचदर =

$$\frac{\text{कुल गांव की संख्या जहां पर प्रा.वि. एवं उ.प्रा.स्तर की शैक्षिक सुविधा हैं}}{\text{जिलें के कुल गांव की संख्या}} \times 100$$

जिले के 1595 गांव एवं 5 नगरपालिका. मिलाकर 1600 ग्राम / नगर पालिका होते हैं तथा वासस्थान 178 हैं। इनमें से 1395 गांवों में प्राथमिक स्तर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध हैं अर्थात् प्रा.विद्यालय हेतु पहुंचदर (G.A.R.) = 78.45% हैं। जिले के कुल 283 स्थानों पर उ. प्रा. स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध हैं। अतः उ.प्रा. स्तर की पहुंचदर (G.A.R.) = 15.91% हैं।

योजना अवधि में प्रा.स्तर की शैक्षिक सुविधा का (G.A.R.) 100% तथा उ.प्रा.स्तर की शैक्षिक सुविधा प्रत्येक 3 कि.मी. पर उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया हैं।

3 उ.प्रा.विद्यालय की कमोन्नति

जिले में कुल विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार हैं –

प्राथमिक विद्यालय 866, उच्च प्राथमिक विद्यालय 297, राजीव गांधी पाठशाला 432

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या = 866 + 297 =1163

जिले में 2:1 से प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमोन्नत करना है तथा राजीव गांधी पाठशाला /शिक्षा कर्मी/वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करना प्रस्तावित है।

कमोन्नत किये जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय = 282 तथा परिवर्तित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–769

वर्षवार खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है–

वर्ष	2003–04	2004–05	2006–07	2007–08	योग
प्राथमिक	43	43	152	43	281
उच्च प्राथमिक	55	45	14	51	165

प्रा कमोन्नति में निम्न प्रावधान प्रस्तावित किये गये है–

500 तक अथवा 500 से अधिक ग्रम की आबादी हो।
उस ग्रम की 3 किमी परिधि में उ प्रा. वि. स्तर की सुविधा ना हो।
कमोन्नति पर विघालय में 1 प्रधानाध्यापक तथा 3 अध्यापक देना प्रस्तावित है।

नव क्रमोन्नत 165 उ.प्रा.वि. को टी.एल.ई. राशि 82.500 लाख प्रस्तावित की गई है। यह राशि प्रति विद्यालय 50000/– रु. की दर से दी जायेगी। इन विद्यालयों हेतु प्रति प्रधानाध्यापकों को वेतन में प्रथम वर्ष 148.500 लाख तथा अगले वर्ष 418.800 लाख प्रस्तावित किए इसी प्रकार शिक्षकों हेतु वेतन राशि प्रथम वर्ष में 103.950 लाख तथा अगले वर्ष में 766.920 लाख, प्रस्तावित किये गये हैं। योजना अवधि में नामांकन लक्ष्य 2003 तक शत् प्रतिशत एवं ठहराव लक्ष्य 2010 तक शत प्रतिशत प्रस्तावित है। नामांकन एवं ठहराव लक्ष्यों को वर्ष वार दर्शाते हुए शिक्षकों एवं कक्षा कक्षों की आवश्यकताओं की गणना की गई है। नामांकन, शिक्षकों एवं कक्षा कक्षों की संख्या संलग्न टेबल में प्रस्तुत हैं –

क्रमांक	गतिविधियां	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	6–11आयु वर्ग के बालको की संख्या	152315	155870	159508	163231	167041	170940	174929	179012
2	11–14आयु वर्ग के बालको की संख्या	93491	95673	97906	100191	102529	104922	107371	109877
3	6–14आयु वर्ग के बालको की संख्या	245906	251543	257414	263422	269570	275862	282300	288889
4	विद्यालयों में नामांकन (1 से 8 कक्षा तक)	247015	251543	257414	263422	269570	275862	282300	288889
5	निजी विद्यालयों में नामांकन	36546	37731	38612	39513	40436	–	–	–
6	शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक विद्यालयों में नामांकन	38058	31138	19698	16258	7298	–	–	–
7	सरकारी विद्यालयों में नामांकन	172411	182674	199104	207651	221837		–	–
8	अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 के आधार पर आवश्यक अध्यापकों की संख्या	4310	4567	4978	5191	5546	–	–	–
9	अध्यापकों के स्वीकृत पद	4653	–	4653	–	–	–	–	–
10	छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 के आधार पर अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता	–	–	325	214	355	–	–	–
11	वर्तमान में आवश्यक कक्षा कक्षों की संख्या	642	257	411	214	355	–	–	–

5.4 शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में बदलना

जिले में 432 रा.गा.स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, 113 शिक्षा कर्मी विधालय शिक्षा गारण्टी योजना के रूप में संचालित है। इन्हें कमानुसार प्राथमिक विघालय में परिवर्तित किया जाना है। वर्ष वार परिवर्तन निम्नानुसार है–

शिक्षा गारण्टी योजना /वैकल्पिक विद्यालय	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
रा.गा.स्वर्ण जयन्ती पाठशाला	43	43	39	43
शिक्षा कर्मी विधालय	–	–	113	–

इन विघालयो को परिवर्तन में निम्न आधार को ध्यान में रखा गया है–

- कक्षा 1 से 5 तक चलने वाले शिक्षा गारण्टी योजना का चयन किया जाना है।चयनित शिक्षा गारण्टी योजना विघालय में न्यूनतम 100 बालक/बालिका अध्ययनरत हो।
- इन विघालयो हेतु 1 नियमित अध्यापक तथा 2 पैराटीचर देना प्रस्तावित है।
- प्रत्येक परिवर्तित विघालय हेतु 10000/–रू. की टी.एल.ई. प्रस्तावित की गई है।
- इस मद हेतु कुल राशि 28.100 लाख है।
- परिवर्तित प्राथमिक विघालयो हेतु पूर्ण कालिक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। जिस पर प्रति माह 7000/–रू. से प्रथम वर्ष में 177.030 एवं द्वितीय वर्ष में 308.280 लाख वेतन हेतु प्रस्तावित किये गये है।
- परिवतित प्राथमिक विघालयो हेतु एक–एक पैरा टीचर की व्यवस्था दी गई हैं, जिनके मानदेय पर प्रथम वर्ष 37.935 लाख, द्वितीय वर्ष 48.552 लाख, तृतीय वर्ष में 19.608 लाख एवं चतुर्थ वर्ष 10.836 लाख प्रस्तावित किये गये हैं।

5.5 सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा गारण्टी योजना की स्थिति

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा गारण्टी योजना की भूमिका को स्वीकार किया गया है। योजना अवधि में आवश्यकता/मांग आधारित शिक्षा गारण्टी योजना विधालय खुलतें रहे है। जिनमें रा.गा.स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा गारण्टी योजना को स्वीकार किया गया हैं इसके अंतर्गत जिले में डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत संचालित 6 घण्टे वाले वैकल्पिक विद्यालय को प्राथमिकता के आधार पर 2 शैक्षिक सत्र पूर्ण हो जाने पर

प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करना हैं। जिले मेंमें कुल 75 वैकल्पिक विद्यालय संचालित हैं, इनको 2006–07में 135 प्राथमिक विद्यालयों में परिरवर्तित किया जाना हैं।

इन विद्यालयों हेतु 1 नियमित एवं 2 पैरा टीचार लगाये जायेंगे जिन पर 87.192 लाख योजना अवधि में प्रस्तावित किये गये हैं। परिवर्तित प्राथमिक विद्यालयों हेतु टी.एल.ई. राशि 1412.880 लाख रू. प्रस्तावित की गई है ।

ई.जी.एस. के अन्तर्गत चलने वाले शिक्षा केन्द्र यथा राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला आदि अध्ययनरत बालक – बालिकाओं की संख्या 665्90 हेतु 845 रू. प्रति बालक–बालिका से राशि 562.686 लाख प्रस्तावित की गई हैं।

अध्यापकों की आवश्यकता

विद्यालयों में अतिरिक्त नामांकन की वृद्धि के फलस्वरूप 40 छात्रों पर 1 शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर वर्ष वार शिक्षकों की गणना की गई हैं योजना अवधि 2004–05 में 325,2005–06 में 214,2006–07 में 355 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता सृजित हुई है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियोजित कर उपलब्ध कराया जाना है। ये शिक्षक नियमित शिक्षक होगे परन्तु योजना अवधि में 165 शिक्षकों एवं 2811 पैरा टीचर की आवश्यकताओं के आधार पर राशि प्रस्तावित की गई है।

ठहराव दर की स्थिति

जिले में ब्लॉक वार ठहराव की स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गई हैं–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1 में नामांकन			कक्षा 8 में नामांकन (2002–03)			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	बकानी	3978	3109	7087	799	322	1121	20.08	10.35	15.81
2.	खानपुर	2764	2580	5344	790	341	1131	28.58	13.21	21.16
3.	म.थाना	4018	3725	7743	785	290	1075	19.53	7.78	13.88
4.	डग	4115	3296	7411	761	304	1065	18.49	9.22	14.37
5.	झा.पाटन	6771	5262	12035	862	345	1207	12.73	6.55	10.02
6.	सुनेल	3902	3446	7348	813	307	1120	20.83	8.90	15.24
	योग	25548	2148	46966	4810	1909	6719	18.82	8.91	14.30

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी: बक्कानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

इस सारणी में ठहराव की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हैं बालकों की ठहराव दर 18.82 प्रतिशत तथा बालिकाओं की ठहराव दर 8.91 प्रतिशत तथा कुल ठहराव दर 14.30 प्रतिशत हैं, इस ठहराव दर को निम्नानुसार बढ़ाने के लक्ष्य प्रस्तावित हैं –

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
18%	20%	25%	55%	65%	75%	85%	90%

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 580 अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 169 प्रधानाध्यापक कक्ष निर्मित किये जायेगें । इस हेतु राशि 696.00लाख एवं 84.500 लाख प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रति वर्ष समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतू 5000 रू. विघालय भवन रख–रखाव हेतु निर्धारित किये गये है।

सामुदायिक गतिशीलता

सामुदायिक गतिशीलता के अंतर्गत ग्रम स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों तथा शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का अभिमुखीकरण प्रस्तावित किया गया हैं। इसके साथ ही जिले में विद्यालयों में प्रति वर्ष सामुदायिक गतिविधियों हेतु योजना अवधि में प्रति विघालय में 1000 रू.से दो वर्ष हेतु 23.230 लाख रू. प्रस्तावित किये गये हैं। इन सामुदायिक गतिशीलता गतिविधियों में बाल–मेला, कला जत्था, महिला–मिटिंग, बालिका मंच आदि गतिविधियां की जावेगी। सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय की शाला प्रबंधन समितियों के 8 सदस्यों का अभिमुखीकरण परियोजना अवधि में चार बार कराने हेतु 6.941 लाख प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 4 वर्षो के लिए जन जागृति निर्माण करने हेतु 0.800 लाख प्रस्तावित किये गये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पंचायत पुस्तकालय की सीपना हेतु जिले में 1524 पंचायत पुस्तकालय खोले जायेगे, जिन पर 30.480लाख रू. प्रस्तावित किये गये है।

विद्यालय की भौतिक सुविधाऐं

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं–

1. भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन सुविधा
2. अतिरिक्त कक्षा कक्ष
3. शौचालय (बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय)
4. पेयजल सुविधा हेतु हैंण्ड पम्प एवं नल कनेक्शन

इन सुविधाओं का विस्तृत वर्णन एवं बजट प्रावधान अध्याय – 10 में पृथक से किया गया हैं।

10 विद्यालय रख–रखाव

सर्व शिक्षा अभियान में प्रति वर्ष जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रति वर्ष 5000 प्रति विद्यालय से 246.350 लाख रू. प्रस्तावित किये गये है। रख–रखाव के अंतर्गत विद्यालय भवन की पुताई एवं रंग–रोगन, नारा–लेखन एवं सौन्दर्य–करण, दरवाजों एवं खिड़कियों पर रंग–रोगन, विद्यालय भवन की नल–बिजली फिटिंग की सामान्य मरम्मत तथा आसन्न छोटी–मोटी मरम्मत करवाने का प्रावधान रखा गया हैं।

1 <u>विधालयो से वंचित बालको हेतू गतिविधियां</u>

विधालयो से वंचित बालको हेतू वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा,गैर सरकारी संगठनो द्वारा नांमाकन अभिवृद्धि, धुमन्तु बालको हेतु शिक्षा,कामकाजी बालको हेतु शिक्षा का प्रावधान प्रस्तावित है, ऐसे 5600 बालक – बालिकाओं हेतु 47.320 लाख रू. प्रस्तावित किये गये है।

अध्याय – 6
गुणवत्ता शिक्षा

1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया हैं। नामांकन के लक्ष्य तभी स्थाई एवं प्रभावी दीर्घकाल तक रह सकते हैं, जब दी जाने वाली शिक्षा आवश्यकता आधारित एवं गुणवत्ता पूर्ण हो। गुणवत्ता शिक्षा में विद्यालयों को शैक्षिक सुविधाऍं प्रदान करना, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित करना एवं दैनिक पठन पाठन में उपयोग सुनिश्चित करना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, विद्यालयों को पुस्तकालयों हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराना, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं का आयोजन तथा नियमित प्रशिक्षण का आयोजन कर गुणवत्ता सुनिश्चित करना हैं।

2 विद्यालय अनुदान राशि (S.F.G.)–

सर्व शिक्षा अभियान मे जिले में संचालित समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं भविष्य में कमोन्नत होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा रा.मा.वि./ रा.उ.मा.वि.जिनमें 1 से 5/1 से 8 कक्षा चलती है, को प्रति वर्ष 2000 रूपयें प्रति विद्यालय नकद धन राशि के रूप में देना प्रस्तावित किया गया हैं।

इस धन राशि को विद्यालय में गठित एवं संचालित शाला प्रबंधन समिति (S.M.C.) द्वारा विद्यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन कर उपयोग करना प्रस्तावित है, विद्यालय अनुदान राशि द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के बढ़ने से गुणात्मक अभिवृद्धि के डी.पी.ई.पी. के अनुभवों को सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकार किया गया हैं।

विद्यालय साज–सज्जा एवं कक्षा कक्ष का शैक्षिक वातावरण निर्माण, दैनिक पाठ योजना में काम आने वाले शैक्षिक मॉड्ल (उपकरण), शिक्षा को आनन्द दायी बनाने में महती भूमिका निर्मित करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में विद्यालय अनुदान राशि द्वारा गुणात्मक अभिवृद्धि करने का प्रयास किया गया हैं। प्राथमिक विद्यालयों हेतु 36.020 लाख, उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 28.920 लाख योजना अवधि में S.F.G. राशि का प्रावधान किया गया है।

3 शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.) –

डी.पी.ई.पी. योजना में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रति वर्ष दी जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री राशि से शिक्षकों की अभिरूचि वृद्धि एवं भावनात्मक लगाव के प्रभाव को स्वीकार करते हुए एवं अनुभवों का लाभ उठाते हुए सर्व शिक्षा अभियान में जिले के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष 500 रू. नकद शिक्षण अधिगम सामग्री के देना प्रस्तावित किया गया हैं, ये धन राशि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधान, शारीरिक शिक्षक एवं समस्त शिक्षकों को प्रति वर्ष दी जायेगी।

इस राशि का उपयोग शिक्षक दैनिक पठन पाठन में काम आने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित करने एवं उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने का प्रशिक्षण देना भी सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकार किया गया हैं विभिन्न प्रकार के चार्ट, उपकरण, नक्शें और अल्प लागत सामग्री से उपयोगी शैक्षिक सामग्री निर्मित करना, बालकों की सृजनात्मक प्रवृत्ति को उभारना तथा रचनात्मक प्रतिभा विकसित करना आदि अनेक उद्धेश्य इस शिक्षण अधिगम सामग्री देने से प्राप्त हो सकेगें। प्रा.वि. के शिक्षको हेतु 29.480 लाख ,उ.प्रा.वि.के शिक्षकों हेतु T.L.M. राशि 57.360 लाख रू. का प्रावधान किया गया हैं।

निशुल्क पाठ्य पुस्तक :–

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रान्त में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत प्राथमिक कक्षाओं के बालक बालिकाओं को प्रति वर्ष निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। इस सुविधा से निर्धन/अल्प आजीविका वाले अभिभावकों के बच्चों को नामांकित करने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने में आशातीत सफलता मिली हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 6,7,8 के बालकों को (बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा निशुल्क पुस्तके पूर्व से ही दी जा रही है।) निशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना प्रस्तावित किया गया हैं। इस हेतु जिले के 34400 उ.प्रा.वि. के बालकों हेतु 100/–प्रति बालक से योजना अवधि में 34.400 लाख का प्रावधान रखा गया हैं।

.5 प्रशिक्षण

शिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण एक प्रभावी उपकरण हैं। सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षकों हेतु प्रस्तावित किये गये हैं –

विवरण	अवधि	यूनिट लागत	संभागियों की संख्या	कुल लागत
प्रा.वि. स्तर के शिक्षकों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण	20 दिन	0.0140	10364	75.278 लाख
उ.प्रा.वि. स्तर के शिक्षकों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण	20 दिन	0.0140	11472	123.648 लाख
अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु 60 दिवसीय प्रशिक्षण	60 दिन	0.042	166	6.972 लाख
नव चयनित शिक्षकों हेतु विषय गत प्रशिक्षण	30 दिन	0.021	648	13.608 लाख
शाला प्रबन्धन समिति सदस्यों का प्रशिक्षण	2 दिन	0.0006	11568	6.941 लाख

अध्याय – 7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

भूमिका

झालावाड़ जिलें में कुछ जातियां एवं समुदाय अपनी जातिगत, भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। इन जातियों / समुदाय के बालक / बालिकाऐं को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ना एक चुनौती पूर्ण कार्य हैं। आजादी के बाद से अब तक अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास भी इनमे शैक्षिक जाग्रति नहीं ला सके इसलिये ये समुदाय समाज की मुख्य धारा से कटे हुए तथा पृथक–कृत हैं। इन परिवारों / समुदायों के शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रयास एवं कार्य योजना इस अध्याय के अन्तर्गत समाहित किये गये हैं।

मोटे रूप से विशिष्ट फोकस ग्रुप में पिछड़ी जातियां (अनु.जाति, अनु.जन–जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति), घुमंतु परिवार, कामकाजी बच्चे, विकलांग बालक–बालिका एवं जैण्डर संवेदनशीलता आते हैं। जिनके लिए विशेष प्रकार के शैक्षिक प्रयास सर्व शिक्षा अभियान की योजना में सम्मिलित किये गये हैं।

जैण्डर संवेदनशीलता

बालक / बालिका में भेद करके बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता से जिलें के कुछ पंचायत समितियों यथा : डग, मनोहरथाना एवं बकानी में बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा कम हैं। समेकित नामांकन से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती परन्तु बालक एवं बालिकाओं की नामांकन स्थिति से ये स्थिति स्पष्ट होती हैं। बालिका नामांकन को बढ़ाने, बढ़े हुए नामांकन का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियां सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित की गई हैं। जिनमें से प्रमुख निम्न हैं–

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला पैरा टीचर की नियुक्ति ।
2. बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण(राज्य सरकार द्वारा वितरित)
3. विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय एवं मूत्रालय सुविधा।
4. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल में जैंण्डर संवेदनशीलता पर शिक्षकों, जन–प्रतिनिधियों में जाग्रति पैदा करना।
5. ब्रिज कोर्स

समुदाय के कुछ ऐसे परिवारों के बालक – बालिकाऐं जो 6 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु सर्व शिक्षा अभियान में ब्रिज कोर्स प्रस्तावित किये गये है। ब्रिज कोर्स की मूल अवधारणा एवं अभिप्रेरणा जिलें में डी.पी.ई.पी. योजना द्वारा संचालित ब्रिज कोर्सो की सफलता से संबंधित हैं। ब्रिज कोर्स व्यावस्था के हिसाब से दो प्रकार के हैं – आवासीय एवं गैर आवासीय 12 एवं 6 ब्रिज कोर्स प्रास्तावित किये गये है । इस हेतु 58.752 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है ।

विकलांग बालक–बालिकाओं की समेकित शिक्षा

जिले में शिक्षा आपके द्वार योजना में विकलांग बालक / बालिकाओं के सर्वे में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का चिन्हिकरण किया गया है। इन बालक बालिकाओं को मोटे रूप चार वर्गो में बांटा गया हैं –

1. अंधता
2. मूक बर्धिता
3. अस्थि विकलांगता
4. मानसिक विकलांगता

इन बालकों को सर्वे के बाद सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हैं–

1. बालक / बालिकाओं के मेडिकल कैंम्प ओयाजित कर विकलांगता की पहचान करना।
2. विकलांग बालक / बालिकाओं को चिकित्सको द्वारा सुझाये गये विकलांग उपकरण उपलब्ध करवाना।

जिले में ब्लॉक वार विभिन्न प्रकार के विकलांग बालक / बालिकाओं की संख्यात्मक स्थिति शिक्षा दर्पण 2001 सर्वे के अनुसार निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट है –

क.सं.	ब्लॉक का नाम	अंधता	मूक बर्धिता	अस्थि विकलांगता	मानसिक विकलांगता
1	बकानी	28	16	114	15
2	डग	32	24	138	08
3	झालरापाटन	47	34	145	4
4	खानपुर	18	12	147	23
5	मनोहरथाना	35	21	155	8
6	सुनेल	15	8	126	9
	योग	185	115	825	67

प्रत्येक विकलांग बालक / बालिका हेतु सर्व शिक्षा अभियान में 1200.00 रू. प्रति बालक – बालिका से योजना अवधि में 2702 बालक–बालिकाओं हेतु 32.424 लाख का प्रावधान किया गया है।

अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के बालक / बालिकाओं की शिक्षा

झालावाड़ जिलें में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के बालक / बालिकाओं की शिक्षा हेतु अनेक गतिविधियां सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित की गई हैं जिले में 1997 के बी.पी. एल. सर्वे के अनुसार अनु.जाति , अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की ब्लॉक वार संख्या निम्नानुसार हैं–

क. सं.	ब्लॉक का नाम	अनु.जाति			अनु.जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
1	बकानी	1115	920	2035	978	710	1688	2057	1800	3857
2	डग	1709	1500	3209	11	7	18	754	502	1256
3	झालरापाटन	1522	1216	2738	1340	820	2160	1484	1010	2494
4	खानपुर	1641	1310	2957	750	600	1350	1926	1800	3726
5	मनोहरथाना	1024	1020	2044	1920	1818	3738	2720	2016	4736
6	सुनेल	1713	1513	3226	410	307	717	1198	904	2102
	योग	8724	7479	16203	5409	4262	9671	10139	8032	18171

(स्त्रोत – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़)

साथ ही जिले में 2001 .की जनगणना के अनुसार अनु.जाति की कुल आबादी एवं अनु.जनजाति की कुल आबादी निम्नानुसार हैं –

क.सं.	जति	पुरूष	महिला	योग
1	अनु.जाति	106060	97239	203299
2	अनु.जनजाति	73299	67022	140321

(स्त्रोत – जिला सांख्यिकी अधिकारी, झालावाड़)

जिले में अनु.जाति अनु.जनजाति के 6–14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या निम्न हैं –

क.सं.	जाति	बालक	बालिका	योग
1	अनु.जाति	212122	19447	40659
2	अनु.जनजाति	14660)	13404	28064

(स्त्रोत – जिला सांख्यिक्की अधिकारी, झालावाड़)

जिले में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के 6–14 आयु वर्ग के बालक / बालिकाओं का नामांकन निम्न हैं–

क.सं.	जति	बाल्लक	बालिका	योग
1	अनु.जाति	222207	14824	37031
2	अनु.जनजाति	165556	11383	27939

(स्त्रोत्– खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी.:: बकानी / डग / झा.पाटन / म.थाना / सुनेल / खानपुर)

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट से संकेत बाल्लिकाओं में शिक्षा से वंचित होने के प्रतीत होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में इस हेतु प्रस्तावित गतिविधियां निम्न हैं–

1. घर–घर सम्पर्क कर जाग्रति पैदा करना।
2- ठहराव हेतु ठहराव पंजिका संधारित करना।
3- अधिक आयु की बालिकाओं के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।
4- कमजोर स्तर के बालक / बालिकाओं के लिए उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन।

कक्षा 6 से 8 के अध्ययनरत 34400 अनु.जाति/जनजाति के बालको हेतु 100 रू. प्रति बालक से योजना अवधि में 34.400 लाख का प्रावधान निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेंतु किया गया हैं ।

घुमंतु परिवार वाले बालक / बालिकाओं के शिक्षा

जिले के मनोहरथाना, डग एवं बकानी ब्लॉक के मजदूर वर्ग के व्यक्ति वर्ष के कुछ महिनों में काम धंधों की तलाश में जिले के बाहर राज्य के बाहर मध्य प्रदेश में पलायन कर जाते हैं ऐसे परिवारों के बालक / बालिकाओं की शिक्षा ड्राप आउट के कारण बूरी तरह से प्रभावित होती है। इसके साथ ही जिले में तंवर, राजपूत जाति के निर्धन व्यक्ति काम धंधे

की तलाश में अपना घर छोड़कर अन्यत्र आते–जाते रहते हैं। जिले में गाड़िया– लूहार, कालबेलिया, बंजारा एवं साठिया जनजाति के लोग शिक्षा से वंचित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में इनको प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गतिविधियां/कार्यक्रम प्रस्तावित हैं–

1. घर–घर जाकर सम्पर्क द्वारा जागृति अभियान चलाना।
2. सर्वाधिक पीड़ित समूह के कुछ स्थानो को प्रयोग के तोर पर चयन कर सघन अभियान चलाना।
3. कच्ची बस्तियों में घुमंतु लोगों का अलग से सर्वे कराना।

कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा

जिले में घरेलू एवं कूटीर उद्योग तथा असंगठित उद्योगो में बहुत से 6–14 आयु वर्ग के बालक / बालिकाऐं श्रम कार्य में नियोजित हैं ये बालक / बालिकाऐं अपने परिवार के लिए नियमित / अनियमित आय का स्त्रोत् भी हैं ऐसे बालक / बालिकाओं को नियमित एवं औपचारिक विद्यालयों में सामूहिक प्रयासों से प्रवेश तो दिलाया जा सकता हैं परन्तु ठहराव सम्भव नहीं होता हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान में ऐसे बालकों के लिए निम्न गतिविधिया प्रस्ताविक की गई हैं–

1. बालक / बालिकाओं हेतु आवश्यकता आधारित वोकेश्नल कोर्स हेतु सर्वे करना।
2. समुदाय शिक्षक द्वारा शिक्षण।

—

अध्याय – 8

अनुसंधान मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान में प्रचलित विधियो, कार्यक्रमों से हटकर नवीन प्रक्रिया एवं गतिविधियों, उत्प्रेरकों से लक्ष्य एवं उद्धेश्यों को प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया हैं। संक्षेप में इसे **अनुसंधान** कहते हैं।

गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा एवं प्रगति का आंकलन करना एवं समीक्षा करना तथा कम या अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारणों का पता लगा कर नई रणनीति तैयार करना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करना **मूल्यांकन** कहलाता हैं।

कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्विति में समय सीमा का निर्धारण धन–राशि में करने की जांच/समीक्षा अत्यन्त आवश्यक हैं। **परिवीक्षण** में कार्यक्रम/ गतिविधियों में आने वाले अवरोध/कठिनाईयों का पूर्वानुमान जिला/ब्लॉक/संकुल स्तर पर पदस्थापित परियोजना कार्मिको द्वारा समय–समय पर किया जाता हैं। **प्रबोधन** में कार्यक्रम/गतिविधियों आने वाले अवरोध/कठिनाईयों का अध्ययन कर तद्नुसार एक रणनीति बनाई जाती हैं तथा आसन्न संकट की तात्कालिक जानकारी अविलम्ब प्राप्त कर दूर करने के प्रयास किये जाते हैं।

अनुसंधान

विद्यालय/संकुल/ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमो, अवरोधों तथा विद्यालय / ब्लॉक विशेष की समस्याओं का अध्ययन करना तथा क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्याओं को जानना अनुसंधान प्रक्रिया का एक अंग हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय/अन्य विधालयो हेतु 1400.00 रू. नवाचार गतिविधियों में प्रस्तावित हैं, इस मद में प्राथमिक विद्यालय हेतु 47.734 लाख रूपयें एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 16.128लाख का प्रावधान रखा गया हैं। नवाचार गतिविधियों में ई.सी.ई., बालिका एवं जैण्डर शिक्षा, विशिष्ठ फोकस समूह आदि पर गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं।

.3 मूल्यांकन

सर्व शिक्षा अभियान में समस्त अकादमिक, शैक्षिक, सामुदायिक तथा सिविल गतिविधियों की मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा का प्रावधान मूल्यांकन के अंतर्गत रखा गया हैं। इससे प्रत्येक स्तर पर आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं को तत्काल जाना जा सकता हैं एवं उनका संभव हल खोजा जा सकता है। संकुल, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रगति की सूचनाएं नियमित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया से प्राप्त करने के लिए मास्टर प्रपत्र निर्मित करना तथा बिना श्रम एवं समय गवायें विद्यालय से लेकर जिला स्तर तक की सूचना को स्वतः समेकित करने की कम्प्यूटर प्रणाली की जावेगी ।

परिवीक्षण

परिवीक्षण के अन्तर्गत एक निश्चित रणनीति के द्वारा कार्यक्रम की प्रगति एवं समीक्षा परियोजना के जिला/ब्लॉक/संकुल स्तर के कार्मिको द्वारा मौके पर जाकर प्राप्त की जाती हैं।

परिवीक्षण में एक समय पर गतिविधि की समस्त जानकारी प्राप्त हो तथा कोई अंश/भाग अछुता नहीं रहे इसलिये पूरी तैयारी एवं निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाऐं भरकर लाई जाती हैं।

परिवीक्षण में आयोजित हो रहे प्रशिक्षण/मीटिंग/गतिविधि की ठीक–ठीक जानकारी प्राप्त करने तथा उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबोधन देने हेतु भी परिवीक्षण आवश्यक हैं। सर्व शिक्षा अभियान में जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर प्रति माह ब्लॉक के स्तर के अधिकारियों की तथा संकुल स्तर के संकुल प्रभारियों की ब्लॉक स्तर पर मीटिंग आयोजित कर परिवीक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त करने की कार्य योजना प्रस्तावित की गई हैं। परिवीक्षण का मुख्य उद्धेश्य केवल कम्मियां निकलना अथवा आलोचना करना नहीं वरन् वास्तविक कठिनाईयों का पता लगाकर प्रगति की गति को बढ़ाने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना हैं।

प्रबोधनः–

सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वास्तविक तथ्यपरक एंव उचित सूचनाओं का विधिवत संकलन करना तथा संकलित सूचनाओं के आधार पर जारी गतिविधियों की कम्मी/असफलता/प्रगति/सफलता निर्धारित

करने हेतु उपयोग करना प्रबोधन कहलाता है। सर्व शिक्षा अभियान में प्रबोधन को एक आवश्यक उपकरण मानकर सूचनाओं के संकलन एंव विश्लेषण हेतु प्रबन्ध तंत्र की संकल्पना की गई है।

सूचना संकलन तंत्र कार्य नियोजन एंव आर्थिक दृष्टि के आधार पर निम्न प्रकार की सूचना तंत्र प्रस्तावित किये गये है:–

i. शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तंत्र**(E.M.I.S)**

ii. योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र**(P.M.I.S)**

iii. वित्तीय प्रबन्धन सूचना तंत्र**(F.M.I.S)**

6.1 शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तंत्र(E.M.I.S):-

इसके अन्तर्गत जिले में प्रारम्भिक कक्षाओं को संचालित करने वाले समस्त राप्रावि/राउप्रावि/मावि/राउमावि/रा.गा.पा./वैकल्पिक विधालय/मान्यता प्राप्त प्रावि, उप्रावि एंव मावि से निर्धारित **E.M.I.S** प्रपत्रों में विधालय की **शैक्षिक,भौतिक एंव मानव संसाधन की समस्त सूचनाओं को संकलित किया जाता है तथा जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के योजना निर्माण में लक्ष्य एंव आवश्यकता निर्धारण हेतु आंकडों का उपयोग किया** जाता है।

6.2 योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र(P.M.I.S):-

सर्व शिक्षा अभियान में निर्मित योजना की कम्पोनेन्ट वार विभिन्न गतिविधियों की त्रैमासिक, भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित **P.M.I.S** प्रपत्रों में प्राप्त की जाती है। गतिविधियों की प्रगति में अपेंक्षित स्तर नहीं होने/संतोषप्रद प्रगति नहीं पाये जाने पर उसके संभावित विभिन्न कारणों की समीक्षा कर आगामी माहों में प्रगति सुनिश्चित की जाती है।

6.3 वित्तीय प्रबन्धन सूचना तंत्र(F.M.I.S):-

निदेशालय,राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्,जयपुर से प्राप्त राशि का आमद एंव दैनिक विभिन्न गतिविधियों में किया गया खर्च चाहे वह जिला परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित हो या खण्ड/संकुल/एस.एम.सी. से सम्बन्धित हो,का दैनिक रोकड संधारण कम्प्युटर पर कर अत्यन्त परिवर्धित कम्प्युटर प्रोगाम **F.M.I.S** के अन्तर्गत संधारित किया जाता है।

संक्षेप में हाथ से लिखी रोकड बुक एंव लेजर के स्थान पर कम्प्युटर पर निर्मित प्रोगाम में रोकड बुक एंव लेजर का संधारण किया जाता है।यह एक अत्यन्त जटिल एंव संवेदनशील प्रकिया है,परन्तु इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के राज्य/जिला स्तर पर किसी भी प्रकार के आय एंव व्यय सम्बन्धी लेखों का विवरण तुरन्त प्राप्त किया जा सकता है।

6 एम.आई.एस. स्टाफः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डी.पी.ई.पी. द्वारा शुरू की गई कम्प्युटर कार्य प्रणाली को और आगे बढाते हुए ब्लाक स्तर तक पहुचाने का प्रयास किया गया है। इस हेतु जिला परियोजना कार्यालय पर .एम.आई.एस. इन्चार्ज का एक पद प्रस्तावित किया गया है।

7 एम.आई.एस.संसाधनः–

सूचना तंत्र को ठीक से व्यवस्थित रूप देने के लिए संसाधनों की उपलब्धता निम्नानुसार प्रस्तावित की गई हैः–

- जिला मुख्यालय पर 5 कम्प्युटर सिस्टम मय आपरेटर (किराये पर) उपलब्ध कराना ।
- प्रत्येक ब्लाक संदर्भ केन्द्र पर एक कम्प्युटर सिस्टम मय आपरेटर (किराये पर) उपलब्ध कराना ।
- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कम्प्युटर सिस्टम मय आपरेटर (किराये पर) उपलब्ध कराना ।
- प्रत्येक ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कम्प्युटर सिस्टम मय आपरेटर (किराये पर) उपलब्ध कराना ।

अध्याय – 9
प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

.1 भूमिका

किसी भी योजना की तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी एक निश्चित प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हैं प्रबन्धन में जिला स्तर पर योजना निर्माण एवं योजना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन तथा उनकी समीक्षा हेतु एक प्रकिया निर्धारित की गई हैं ।

नीतियों एवं प्रक्रियाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए जिला /ब्लॉक/संकुल एवं शाला स्तर पर निश्चित संस्थाओं की संकल्पना की गई हैं तथा इन संस्थाओं का क्षमता विकास सर्व शिक्षा अभियान का ग्महत्वपूर्ण पहलू हैं। संक्षेप में इस अध्याय के अंतर्गत प्रबंधन एवं संस्थाओं के क्षमता विकास संबंधी रणनीतियों का विववेचन किया गया हैं।

2 प्रबंधन

प्रबंधन के अंतर्गत जिला स्तर पर वर्तमान्न में संचालित डी.पी.ई.पी. के जिला परियोजना कार्यालय के पद व्यवस्था को यथा स्थिाति में स्वीकार किया गया हैं। संक्षेप में सर्व शिक्षा अभियान में जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय में निम्न स्टाफ व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया हैं जो जिला स्तर पर प्रबंधना शीर्षक में वर्णित हैं।

.1 जिला स्तर पर प्रबंधन –

वर्तमान में जिला परियोजना कार्यालय डी.पी.ई.पी. में निम्नानुसार पद व्यवस्था हैं इसे सर्व शिक्षा अभियान में इसी रूप में प्रस्तावित किया गया हैं।

विवरण	पद संख्या	प्राति वर्ष वेतन मद में स्वीकृत राशि (लाख में)
जिला परियोजना समन्वयक	1	2.400
सहायक परियोजना समन्वयक	4	8.160
सहायक अभियंता	1	1.800
कार्यक्रम सहायक	3	4.320
सहायक लेखाधिकारी	1	1.680
एम.आई.एस. इन्चार्ज	1	1.200.
वरिष्ठ लिपिक	1	0.840
कनिष्ठ लिपिक	1	0.600
कम्प्यूटर आपरेटर (अनुबन्द पर)	4	1.920
सहायक कर्मचारी (अनुबन्द पर)	3	0.918
वचमैन	1	0.306

इसके अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय पर कार्यालय में वाहन, भवन किराया, कार्यालय व्यय, यात्रा–भत्ता, आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय में 33.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

4.2 ब्लॉक स्तर पर प्रबंधन

सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर खण्ड संदर्भ केन्द्र की संकल्पना को यथावत रखते हुए निम्न पदों कों प्रस्तावित किया गया हैं–

विवरण	पद संख्या	प्रति वर्ष वेतन मद में स्वीकृत राशि (लाख में)
खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी	6	11.760
संदर्भ व्यक्ति	18	25.920
कनिष्ठ अभियन्ता	6	8.640
कनिष्ठ लेखाकार	6	6.480
कम्प्यूटर आपरेटर (अनुबन्द पर)	6	2.880
कनिष्ठ लपिक	6	3.600
सहायक कर्मचारी (अनुबन्द पर)	6	1.836

इसके अतिरिक्त मिटिंग, यात्रा भत्ता, कंटिनजेंसी एवं टी.एल.एम. राशि में 5.640 लाख का प्रावधान किया गया है।

4.3 संकुल स्तर पर प्रबंधन

जिले के 6 पंचायत समितियों में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित 96 संकुलों को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत रखा गया हैं। ब्लॉक वार संकुलों की संख्या निम्न हैं –

ब्लॉक का नाम	संकुल संदर्भ केन्द्रों की संख्या
झालरापाटन	19
ब्कानी	15
खानपुर	14
सुनेल	15
डग	14
मनोहर थाना	19
योग	96

संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारीयों हेतु प्रति वर्ष 115.200 लाख राशि वेतन मद में स्वीकृत की गई हैं तथा फर्नीचर,कन्टीन्जेन्सी,टी.एल.एम. राशि, यात्रा–भत्ता एवं मिटिंग हेतु 22.656 लाख राशि का प्रावधान किया गया हैं ।

संस्थाओं का क्षमता विकास

सर्व शिक्षा अभियान में जिला, ब्लॉक, संकुल एवं शाला स्तर पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को गठित करने तथा पूर्व में संचालित संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास प्रस्तावित किये गये हैं। इन संस्थाओं का परिचय कार्य विधि तथा इनके कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं–

.1 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वयन एवं कार्यालय सुदृढीकरण

प्रारम्भिक शिक्षा को जिला स्तर पर प्रशासनिक गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1991 में जिला शिक्षा अधिकारी का पद एवं कार्यालय पृथक से सृजित किये गये हैं साथ ही क्रमिक रूप से उप जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद एवं कार्यालय प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर स्थापित किये गये। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में तथा जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पूरे जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन एवं प्रशासनिक नियन्त्रण करते हैं। इनके प्रमुख कार्य पद स्थापन, स्थानान्तरण, आहरण, वितरण एवं बजट नियन्त्रण एवं उपयोग तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अकादमिक कार्य के साथ–साथ प्रशासनिक कार्य करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का महत्व एवं उपयोगिता बहुत गहरे अर्थो में स्वीकार की गई है। इसलिये इस योजना में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक में निम्न क्षेत्रों में समन्वय एवं तालमेल रेखांकित एवं चिन्हित किया गया हैं। यह क्षेत्र अंतिम नहीं हैं समय के साथ साथ प्रोजेक्ट की गतिशिलता आने पर आवश्यकता अनुभूत नये क्षेत्रों में भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से सहयोग एवं समन्वय लिया जाता रहेगा।

नामांकन एवं ठहराव के वर्ष वार लक्ष्य निर्धारित करने एवं लक्ष्य प्राप्ति में।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्रमोन्निति प्रस्ताव तैयार करने में।

)

- प्रशिक्षणों के आयोजनों में शिक्षकों की उपस्थिति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने में।
- प्रशिक्षण उपरान्त शिक्षकों द्वारा सीखें अनुभवों को विद्यालय में दैनिक पठन–पाठन में उपयोग सुनिश्चित करने में।
- विद्यालय को दी जाने वाली प्रति वर्ष विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG) के प्रभावी उपयोग में।
- प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजीव गांधी पाठशाला के शिक्षकों को प्रति वर्ष दी जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री TLM राशि के प्रभावी एवं सार्थक उपयोग में।
- विद्यालयों के मरम्मत, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, नवीन भवन, शौचालय, पेयजल, चार दिवारी की मांग के प्रस्ताव तैयार करने में।
- विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण में सुधार कर विद्यालयों के सौन्दर्यकरण में सहयोग।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अभियान की उदासीनता एवं अनुत्तरदायी रूप से लेने वाले शिक्षको के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाहीं करने में।
- शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने तथा उनकी नियमितता सुनिश्चित् करने में।
- राजीव गांधी पाठशाला/राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद स्थापित पैरा टीचर की भूमिका को बेहतर बनाने एवं उनकी कार्यदशता बढ़ाने हेतु।
- बढ़े हुए नामांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त शिक्षकों की मांग एवं आवश्यकता आकलन में।

इस हेतू एक वाहन किराये पर लेने की सुविधा,उपकरण,कम्प्यूटर मय आपरेटर सहित सुविधा तथा रेकरिंग व्यय का प्रावधान रखा गया है जिस पर राशि 11.500 लाख प्रस्तावित किये गये है।

9.3.2 अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वयन एवं कार्यालय सुदृडीकरण

प्रत्येक ब्लाक पर अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यालय संचालित है। इन कार्यालय हेतु

वाहन भत्ता की सुविधा,उपकरण,कम्प्यूटर मय आपरेटर सहित सुविधा तथा रेकरिंग व्यय का प्रावधान रखा गया है जिस पर राशि 30.540 लाख प्रस्तावित किये गये है।

3.3 जिला शाषी परिषद (G.C.)–

डी.पी.ई.पी. में जिला शाषी परिषद् के गठन एवं अर्द्धवार्षिक बैठकों का प्रावधान हैं। सर्व शिक्षा अभियान में भी डी.पी.ई.पी. के अनुभवों को जारी रखते हुऐ जिला शाषी परिषद का महत्व एवं उपयोग उसी रूपा में स्वीकार किया गया हैं। जिला शाषी परिषद सम्पूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों, उद्धेश्यों एवं कार्यक्रमों की अर्द्धवार्षिक रूप से समीक्षा कर लागू करने का कार्य करेगी। जिला शाषी परिषद के सदस्य निम्नानुसार होगें –

जिला स्तर पर :–

- जिला प्रमुख (अध्यक्ष)
- जिला परियोजना समन्वयक, ड़ी.पी.ई.पी., (सचिव)
- जिला कलक्टर
- जिला परिषद की शिक्षा समिति का सदस्य
- परियोजना निदेशक, विकास
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- प्रधानाचार्य, डाईट
- सेवानिवृत शिक्षाविद्द (2)
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला निष्पादन समिति (E.C.)–

शाषी परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों एवं प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जिला स्तरीय जिला निष्पादन सम्मिति का गठन सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित है। जिला निष्पादन समितियों के सदस्य निम्नानुसार हैं–

- जिला कलक्टर (अध्यक्ष)
- जिला परियोजना समन्वयक (सचिवा)
- अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी((सदस्य)

- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान(सदस्य)
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
- समस्त खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सदस्य)
- सेवानिवृत अध्यापक / शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
- शिक्षण संगठनों के प्रतिनिधि / अध्यापक (सदस्य)

जिला निष्पादन समिति वर्ष में चार बार त्रेमासिक रूप से बैठकें कर जिला निष्पादन समिति के प्रस्तावों / निर्णयों को क्रियान्वित करेगी साथ ही विगत तीन माह में की गई गतिविधियों की प्रगति का कम्पोनेंट वार समीक्षा करेगी।

.5 जिला संदर्भ समूह (D.R.G.)–

सर्व शिक्षा अभियान के बौद्धिक एवं अकादमिक पक्ष को व्यवस्थित, नियमित, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु जिला संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तावित की गई हैं। औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण, सिविल कार्य हेतु चार जिला संदर्भ समूह गठित करने एवं इनकी त्रेमासिक बैठकों का प्रावधान प्रस्तावित हैं, प्रत्येक जिला संदर्भ समूह में एक कार्यक्रम प्रभारी, एक डाईट का संदर्भ व्यक्ति, एक सेवानिवृत शिक्षाविद्, एक अभियन्ता एवं एक योग्य अनुभवी अध्यापक होते हैं।

6 खण्ड संदर्भ केन्द्र(B.R.C.) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर खण्ड संदर्भ केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान में खण्ड संदर्भ केन्द्र के महत्व को स्वीकार करते हुए उनको मौजूदा स्वरूप में ही चलाने का प्रावधान हैं। खण्ड संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हैं (वर्तमान में भी किये जा रहे हैं)

शिक्षकों के प्रशिक्षण –

प्रेरण, अभिनवन प्रशिक्षण एवं विषय गत प्रशिक्षण सेवारत एवं पैरा टीचर हेतु प्रशिक्षण करवाना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित करना।

संकुल प्रभारियों की मासिक बैठक आयोजित करना।

माह में न्यूनतम् एक संकुल का वर्ष में एक बार निरिक्षण करना।

किसी एक संकुल एवं एक संदर्भ व्यक्ति को चयन कर आदर्श संकुल तथा आदर्श संदर्भ व्यक्ति निर्मित करना।

माह में न्यूनतम एक प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय/ई. सी.ई. केन्द्र का खण्ड संदर्भ व्यक्ति अथवा संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा अवलोकन करवाना।

समुदाय से सहभागिता स्थापित करना।

जनप्रतिनिधियों एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।

जिला परियोजना कार्यालय/डाईट/संकुल केन्द्र तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

जिला स्तरीय एम.आई.एस. को संकुल एवं ब्लॉक की सूचना उपलब्ध करवाना।

शाला प्रबन्धन समितियों को गति प्रदान करना।

वातावरण निर्माण में प्रभावी भुमिका निभाना।

निर्माण कार्यो की विद्यालय वार सूचना संकलित करना एवं निर्माण कार्यो की सामान्य प्रगति प्राप्त करना।

प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र पर एक खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, तीन संदर्भ व्यक्ति, एक कैशियर कम टाईपिस्ट, एक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, एक सहायक कर्मचारी के पद प्रस्तावित किये गये हैं। प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र के संचालन का वार्षिक बजट 6.00 लाख रूपयें हैं।

खण्ड शिक्षा समिति (B.E.C.)–

ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों, प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े पदाधिकारियों के बीच सार्थक संवाद एक रचनात्मक सहयोग की निरन्तरता बनाये रखने हेतु खण्ड शिक्षा समिति के गठन एवं त्रैमासिक बैठकों के आयोजन का प्रावधान हैं। खण्ड शिक्षा समिति में निम्न सदस्य हैं–

ब्लॉक स्तर पर :–

- प्रधान (अध्यक्ष)
- ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, डी.पी.ई.पी.(सचिव)
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
- पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

सी.डी.पी.ओ.

ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी

सेवानिवृत अध्यापक

त्रैमासिक बैठकों में विगत तीन माह की परियोजना के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी तीन माह हेतु होने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करना तथा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

संकुल संदर्भ केन्द (C.R.C)–

सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित पूरे जिले में 96 संकुलों को यथा स्थिति स्वीकार किया गया हैं। पूरे जिले में ब्लॉक वार संकुलों की संख्या निम्नानुसार हैं ।

क.सं.	ब्लॉक	संकुल संख्या
1.	झालरापाटन	19
2.	खानपुर	14
3.	बकानी	15
4.	सुनेल	15
5.	डग	14
6.	मनोहरथाना	19
		96

वर्तमान में संकुल संदर्भ केन्द्र 2 से 3 ग्राम पंचायतों, एक नगरपालिका की परिधि में स्थित हैं। प्रत्येक संकुल पर निम्न कार्मिक पदस्थापित हैं –

1. संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी
2. महिला बालिका प्रेरक(GCM))

इनके वर्तमान स्वरूप को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत प्रस्तावित किया गया हैं प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र का वार्षिक संचालन बजट 2.00 लाख रूपयें हैं। संकुल संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। (वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ये सभी कार्य किये जा रहे हैं)

प्रत्येक विद्यालय का शाला मानचित्रीकरण, सुक्ष्मनियोजन एवं विद्यालय का कैचमेन्ट एरिया निर्धारित करना।

शाला प्रबन्धन समितियों का गठन एवं अभिमुखीकरण।

शिक्षक/पैरा टीचर की मासिक बैठकें आयोजित कराना।

ई.सी.ई. प्रेरक/बालिका मंच की त्रैमासिक बैठके आयोजित करना।

संकुल स्तर पर बाल–मेल, कला जत्था एवं महिला बैठकों का आयोजन करवाना।

विद्यालयों में निर्माण कार्यो के लिए भवन निर्माण समितियों का गठन करवाना।

विद्यालयों से नामांकन, ठहराव की मासिक सूचनाऐं प्राप्त कर खण्ड संदर्भ केन्द्र पर पहुंचाना।

ब्लॉक स्तर की संकुल प्रभारियों की मासिक मीटिंग में भाग लेना।

विद्यालयों में शाला सुविधा अनुदान राशि (SFG) एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) हेतु दी गई राशि के प्रभावी उपयोग की सुनिश्चितता करना।

अपने संकुल क्षेत्र के विद्यालयों से निर्माण कार्यो की सूचना प्राप्त करना एवं जारी निर्माण कार्यो की प्रगति/अवरोधों की जानकारी ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता को देना।

विद्यालयों के शैक्षिक सूचनाऐं, मूल्यांकन एवं प्रबोधन संबंधी सूचनाओं को ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना।

प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव एवं हो चुके विद्यालयों की सूचना ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पहुंचाना।

शाला प्रबन्धन समितियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित् करना।

संकुल संदर्भ समूह (C.R.G.)–

प्रत्येक संकुल स्तर पर शिक्षकों एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को मिलाकर एक संकुल संदर्भ समूह गठित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित हैं। इसकी मूल अवधारणा एवं कार्य पद्धति डी.पी.ई.पी. से अभिप्रेरित हैं। प्रत्येक संकुल संदर्भ समूह में अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण एवं हिन्दी विषय का एक–एक शिक्षक एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी होता हैं। विषय अध्यापक, सदस्यों एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी संयोजक होता हैं।संकुल संदर्भ समूह का वर्ष में एक बार ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। संकुल स्तर पर आयोजित शिक्षकों/पैराटीचर की मासिक बैठकों में संकुल संदर्भ समूह समस्त शिक्षकों/पैरा टीचर को बौद्धिक एवं अकादमिक सम्बलन प्रदान करता हैं। दैनिक पाठ योजना, ग्रह कार्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विभाजन, प्रश्न पत्र निर्माण, शिक्षण अधिगम् सामग्री की उपयोगिता, विषयगत कठिन पाठों को सरल रूप में प्रस्तुत करने की विधा विकसित करने, नामांकन ठहराव, विद्यालय सौन्दर्यकरण एवं विद्यालयों की वार्षिक योजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में उत्प्रेरक का कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया हैं।

शाला प्रबन्धन समिति (S.M.C.)–

प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी पाठ्यशाला स्तर पर डी.पी.ई.पी. द्वारा गठित शाला प्रबन्धन समितियां एवं उनकी कार्य पद्धति को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत् स्वीकार किया गया हैं। शाला प्रबन्धन समिति में निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं

- सरपंच/वार्ड पंच (अध्यक्ष)
- प्र.अ.,प्रा.वि./उ.प्रा.वि./रा.गां.स्व.पा. (सचिव)
- वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्यं)
- ग्राम सेवक
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- अध्यापक – 2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)
- अभिभावक/संरक्षक –2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

आगन्तुक

- ए.एन.एम.
- सेवानिवृत कर्मचारी
- सामाजिक कार्यकर्ता

शाला प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई महिलाओं का होना आपेक्षित हैं। वर्ष में एक बार शाला प्रबन्धन समिति का संकुल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। अभिमुखीकरण में निम्न बिन्दुओं पर विशेष चर्चा एवं जानकारी का आदान–प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं–

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की मूल अवधारणा।
- नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक अभिवृद्धि पर विशेष बल।
- सर्व शिक्षा अभियान के उद्धेश्य एवं व्यूह रचनाऐं।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में जन सहभागिता।
- जैण्डर संवेदनशीलता।
- शाला प्रबन्धन समितियों तथा ई.सी.ई. केन्द्रों द्वारा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य , पोषण, टीकाकरण एवं छोटे बच्चों की सार–संभाल पर अपनी–अपनी सेवाऐं प्रदान करना।

शाला प्रबन्धन समिति के कार्य :–

- ग्राम स्तर पर शाला मानचित्रीकरण, सुक्ष्मनियोजन तथा कैचमेंन्ट एरिया संबंधी कार्य करना।
- भवन रहित विद्यालय हेतु भवन की भूमि का चिन्ह्रीकरण, पट्टा प्राप्त करना , भवन निर्माण समिति का गठन एवं सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि से ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करवाना
- शाला भवन की मरम्मत, पेयजल सुविधा, विद्यालय सौन्दर्यकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
- भवन निर्माण संबंधी सामग्री का क्रय करना एवं तत्संबंधी लेखों का संधारण करना।
- शत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित् करना।
- विद्यालय में सभी शिक्षकों की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित् करना।
- सर्व शिक्षा अभियान में दी गई भवन रख–रखाव राशि 5000/–रूपयें, विद्यालय अनुदान राशि 2000/–रूपये तथा प्रत्येक शिक्षक को दी जाने वाली राशि

500/– रूपयें के प्रभावी उपयोग की रणनीति बनाना, सामग्री क्रय करना एवं समस्त बिल वाउचर का संधारण एवं केश बुक (रोकड़) का संधारण करना।

- विद्यालय स्तर के सांस्कृतिक एवं खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- गांव के वैकल्पिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र / ई.सी.ई. केन्द्रो के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- शिक्षकों को पुरस्कृत करना।
- ग्राम स्तर पर महिला मीटिंग एवं संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला–जत्था के आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
- 1 5 अगस्त, 26, जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 20 मई को होने वाली ग्राम–सभाओं में शैक्षिक प्रस्तावों को यथा–पैराटीचर/जी.सी.एम./ई.सी.ई. प्रेरक के चयन संबंधी कार्यवाहीं करना।
- विकलांग बालकों की पहचान कर मेडिकल कैम्प में बालकों को भेजना तथा उपकरण दिलवाना।
- शाला से वंचित बालकों को जोड़ने के नियमित प्रयास करना।

भवन निर्माण समिति (B.N.S.):–

विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य करवाने हेतु शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग से भवन निर्माण समिति का गठन सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. की अवधारणा एवं कार्यशैली को यथावत् रूप से स्वीकार किया गया हैं। भवन निर्माण समिति में निम्न सदस्य रखे गये हैं–

सरपंच / वार्ड पंच (अध्यक्ष)

संस्था प्रधान, संबंधित विद्यालय (सचिव)

ग्राम / वार्ड में उपलब्ध निर्माण कार्यो का जानकार कारीगर / मिस्त्री (दो व्यक्ति–सदस्य)

शाला प्रबन्धन समिति से मनोनित उत्साहित व्यक्ति (सदस्य)।

संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था में कार्यरत एक अध्यापक (सदस्य)

भवन निर्माण समिति के वर्ष में एक बार कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर B.N.S. प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों, सचिव एवं अध्यक्ष को निर्माण कार्यो की विस्तृत तकनीकी जानकारी ले–आऊट, निर्माण कार्यो का तखमीना बिन्दूवार स्पष्ट किया जाता हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त तय सीमा एवं प्राप्त राशि का निर्माण कार्यो में उपयोग कर पूर्णता के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, भवन–निर्माण समिति का कार्य हैं। भवन निर्माण से संबंधित सामग्री यथा–पत्थर, ईट, रेत, सीमेंट, लोहा आदि न्यूनतम् बाजार मूल्यों पर एवं गुणवत्ता युक्त स्तर का क्रय करना तथा मजदूरों एवं कारिगरों की व्यवस्था करना एवं निर्माण से संबंधित बिल वाउचर तथा केश बुक संधारित करना, भवन निर्माण समिति का कार्य हैं। निर्माण का अधूरा रहना, मजदूरों का भुगतान नहीं करना, घटिया सामग्री लगाना तथा घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाने तथा बिना जरूरत के अपने पास नगद धन–राशि रखना तथा लेखा संधारण नहीं करने पर **भवन निर्माण समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान में भवन निर्माण समिति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहीं करने की पूर्ण स्वीकृति प्रस्तावित की गई हैं।**

कोष प्रवाह (Fund Flow):–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोष प्रवाह हेतु सुनिश्चित तंत्र विकसित किया गया हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन जो जिलें के विभिन्न गतिविधियों की कियान्विति हेतु दी गई वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमोदन पश्चात् ही दी जाती है को निदेशक, रा.प्रा.शि.प. के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान हैं। निदेशालय स्तर से जिला परियोजना समन्वयक के खाते में चैक/डी.डी द्वारा धन राशि जमा होती हैं। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपनी मासिक/दैनिक गतिविधियों हेतु राशि आहरित कर खण्ड संदर्भ केन्द्र/ संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों के खाते में स्थानान्तरित करदी जाती है। खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी/संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एस.एम.सी./सीधे संबंधित व्यक्ति को राशि चैक द्वारा दी जाती हैं। कोष प्रवाह के कम को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है :–

कोष प्रवाह चार्ट

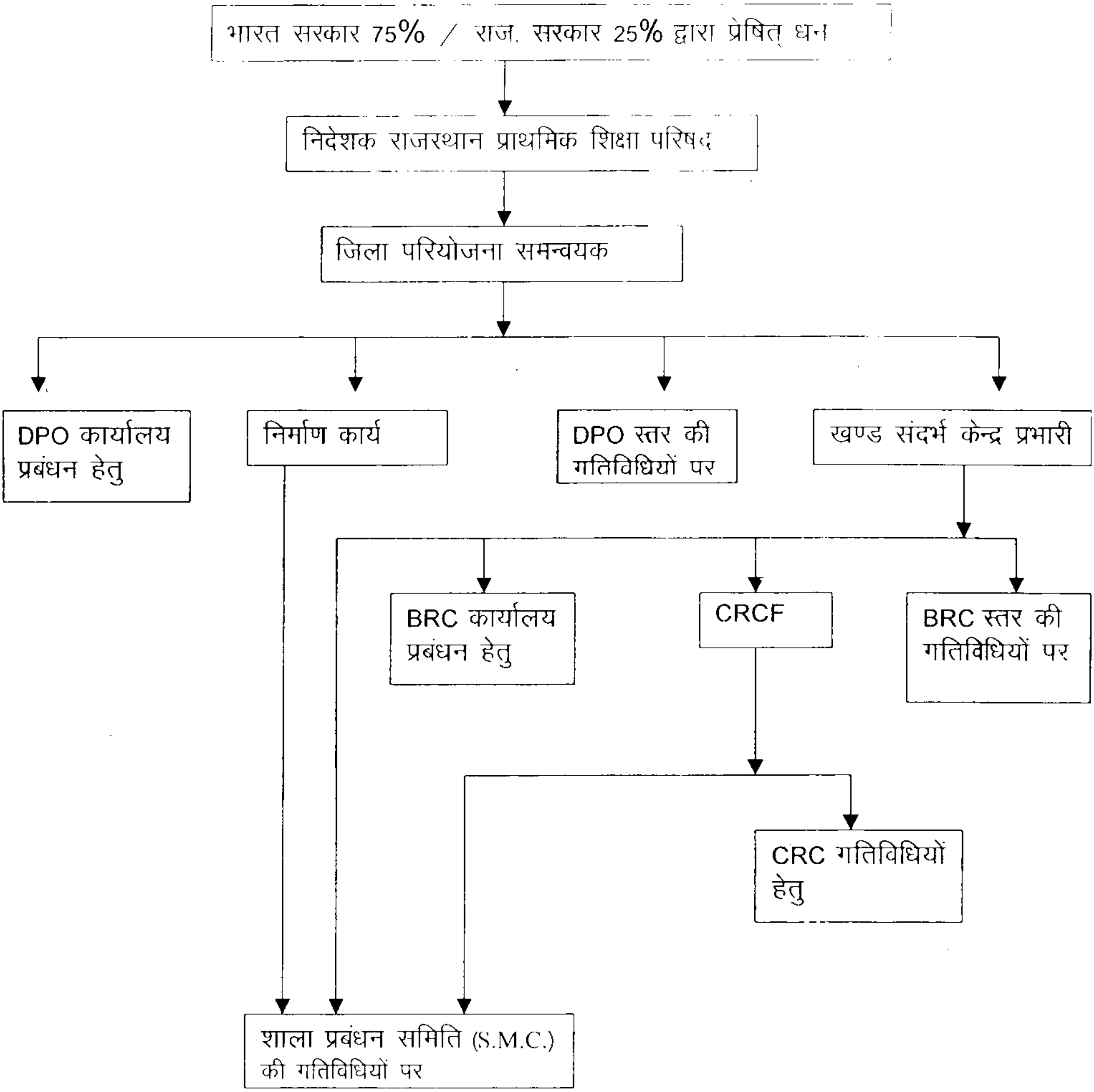
भारत सरकार 75% / राज. सरकार 25% द्वारा प्रेषित् धन
निदेशक राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद
जिला परियोजना समन्वयक
DPO कार्यालय प्रबंधन हेतु
निर्माण कार्य
DPO स्तर की गतिविधियों पर
खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी
BRC कार्यालय प्रबंधन हेतु
CRCF
BRC स्तर की गतिविधियों पर
CRC गतिविधियों हेतु
शाला प्रबंधन समिति (S.M.C.) की गतिविधियों पर

अध्याय –10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका:–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने निर्माण कार्यों में मिली आशातीत लोकप्रियता एवं सफलता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में भी राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,राजीव गांधी पाठशाला,वैकल्पिक विधालय में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही क्षमता विकास के अन्तर्गत खण्ड संदर्भ केन्द्र एवं संकुल संदर्भ केन्द्रों हेतु भी निर्माण कार्य रखे गये है। निर्माण कार्यो में पूरे पांच वर्षीय योजना की कुल राशि का 33:उच्चतम सीलिंग सीमा रखी गई है।अतरू समस्त प्रस्ताव 33: सीलिंग सीमा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है।सारे निर्माण कार्यों की और भी कई महत्वपूर्ण बातें है जो निम्न है:–

विधालयों के निर्माण कार्यो के प्रस्ताव प्रत्येक विधालय की E.M.I.S पुस्तिका एवं विधालय/संकुल/ब्लाक/जिला स्तरीय योजना बैठक में प्राप्त पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गये है।

प्रस्ताव की आवश्यकता एवं मांग के बाद निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी वास्तविक मांग का सत्यापन कर प्रस्तावों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया हैं।

जिले के कुल निर्माण कार्यों के प्रस्तावों की मांग 33%धनराशि से अधिक होने पर प्राथमिकता के आधार पर तय सीमा राशि के प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया है।

निर्माण कार्यो में अन्य जिलें में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं यथा जवाहर रोजगार योजना/डी.आर.डी.ए. की विभिन्न योजनाए/अकाल राहत/दसवें ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा किये जाने वाले कायों से मिलान कर प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है ताकि किसी भी स्तर पर दोहराव से बचा जा सके ।

निर्माण कार्यो में गुणवत्ता,स्थानीय तकनीक/संसाधन का उपयोग करते हुए कम लागत एवं समय में सुनिश्चित की जाती है।

निर्माण कार्य ठेके पर नहीं कराकर शाला प्रबन्धन समितियों के माध्यम से करवाने का प्रावधान किया गया है ताकि स्थानीय लोगों की जन सहभागिता एवं भावनात्मक लगाव निर्माण कार्यो में हो सकें।

निर्माण कार्य विधालय भवन,अतिरिक्त कक्षा कक्ष,शौचालय,जल सुविधा,चार दीवारी एवं रेम्पस आदि सम्बन्धित /प्रस्तावित किये गये है जिनकी मांग एवं प्रस्तावित धन राशि बिन्दुवार निम्नानुसार दर्शायी गई है।

निर्माण कार्यो के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में डी.पी.ई.पी. योजना अवधि में किये गये कार्यो को घटा कर शेष बने प्रस्तावों को सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया गया हैं। सिविल निर्माण कार्यो के बिन्दूवार मांग एवं प्रस्ताव निम्न रूप से प्रस्तुत हैं –

10.2 भवन विहीन विद्यालय –

पूर्व में संचालित प्राथमिक विद्यालयों के एवं ब्लॉक क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भवन रहित स्थिति में हैं, उनमे छात्र संख्या एवं मांग के आधार पर भवन बनाने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। डी.पी.ई.पी. योजना से जो प्राथमिक विद्यालय भवन सुविधा से छूट जायेगें उनमे से 203 प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 24 विद्यालय रहित में भवन निर्मित करना प्रस्तावित हैं। 3 कमरें के भवन हेतु यूनिट कॉस्ट 3.60 लाख रू. तथा 2 कमरों के भवन हेतु यूनिट कॉस्ट 2.56 लाख निर्धारित की गई हैं।

भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण संबंधी संख्या एवं लागत निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट हैं –

विवरण	विद्यालय का प्रकार	भवन का प्रकार	संख्या	यूनिट लागत (लाख में)	कुल लागत(लाख में)
भवन विहीन विद्यालय	प्रा.वि.	3 कमरें	203	3.600	730.800
	उ.प्रा.वि.	5 कमरें	24	2.500	61.400
			284		792.200

अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष –

विद्यालयों में छात्र संख्या को आधार मान कर प्राथमिकता के आधर पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाने के प्रस्ताव प्राथमिक विद्यालय हेतु न्यूनतम 2 कमरें एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु न्यूनतम 6 कमरें (120 छात्र) से संख्या की गणना की गई हैं। इससे अधिक कमरों की आवश्यकता हेतु 40 छात्रों पर एक कक्षा कक्ष को आधार मानकर कमरों की संख्या निकाली गई हैं। एक कमरें की यूनिट कॉस्ट 1.200 लाख हैं तथा प्रधानाध्यापक कक्ष हेतु यूनिट कॉस्ट 0.500 लाख हैं। वर्तमान में 642 कक्षों की आवश्यकता हैं तथा नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष वार 1593

अतिरिक्त कक्षा कक्ष वर्ष वार मांग के आधार पर आवश्यकता निर्मित होगी परन्तु 580 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का ही प्रावधान योजना में किया गया हैं एवं शेष को अन्य तरीको से मांग को पूरा किया जावेगा। इसी प्रकार 169 प्रधानाध्यापक कक्ष निर्मित किये जावेगे। अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्षों संख्या एवं राशि निम्नानुसार हैं –

विवरण	कमरो की कुल संख्या	यूनिट लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	580	1.200	696.000
प्रधानाध्यापक (उ.प्रा.वि.) कक्ष	169	0.500	84.500

विद्यालयों में मरम्मत

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शाला भवन की मरम्मत हेतु प्रति कक्षा कक्ष के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान में राशि का प्रावधान किया गया है। मरम्मत में लघु मरम्मत पर यूनिट कॉस्ट 0.125 लाख तथा बड़ी मरम्मत पर प्रति कक्षा कक्ष **यूनिट** कॉस्ट 0.250 लाख प्रस्तावित की गई है। योजना अवधि में कुल 200 लघु मरम्मत पर 25.00 लाख तथा 450 बड़ी मरम्मत पर 112.500 लाख राशि प्रस्तावित की गई हैं।

शौचालय

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय सुविधा देने हेतु प्रस्ताव छात्र संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर तैयार किये गये हैं डी.पी.ई.पी. योजना के पश्चात् शेष रहे 162 प्राथमिक विद्यालय तथा 571 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं परन्तु सर्व शिक्षा अभियान में 347 शौचालय निर्मित करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया हैं। एक शौचालय की न्यूनतम् लागत 0.100लाख निर्धारित की गई हैं। संलग्न सारणी द्वारा शौचालयो की मांग एवं लागत स्पष्ट हैं–

विवरण	विद्यालय का प्रकार	संख्या	यूनिट लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)
शौचालय	प्रा.वि.	111	0.100	11.100
	उ.प्रा.वि.	236	0.100	23.600
	योग	347		34.700

विद्यालयों में पेयजल सुविधा –

राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की समुचित एवं निरन्तर उपलब्धता हेतु सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयों में नल लगाने एवं हैण्ड पम्प लगाने का प्रावधान प्रस्तावित हैं। जिन ग्रामों / कस्बों में जलदाय विभाग / स्थानीय स्तर द्वारा नल सुविधा उपलब्ध हैं, उन ग्रामों / कस्बों में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु नल कनेक्शन दिये जाते हैं। पानी की निरन्तरता बनाये रखने हेतु जल संग्रह के लिये टंकी भी निर्मित किये जाने का प्रावधान रखा गया हैं नल सुविधा हेतु यूनिट लागत 0.200लाख तथा हैंण्ड पम्प हेतु 0.500 लाख हैं। निम्न सारणी द्वारा शौचालय की मांग एवं कुल लागत को दर्शाया गया है–

विवरण	विद्यालयका प्रकार	हैंण्ड पम्प			नल कनेक्शन			कुल लागत (लाख में)
		संख्या	यूनिट कॉस्ट	राशि	संख्या	यूनिट कॉस्ट	राशि	
पेय जल सुविधा	प्रा.वि.	50	0.500	25.000	0	0	0	25.000
	उप्रा.वि.	150	0.500	75.000	57	0.200	11.400	86.400

10.7 रैम्पस :–

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में विकलांग बालकों के विद्यालय भवन में आने की कठिनाई को दूर करने के लिए सीढ़ियेां के साथ–साथ रैम्पस सुविधा का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में लिया गया हैं। रैम्पस की उपलब्धता से विकलांग बालक–बालिका बिना किसी अन्य व्यक्ति की मदद लिए पैदल अथवा कृत्रिम उपकरण / ट्राई साईकिल पर चलकर विद्यालय भवन में पहुंच सकता हैं। रैम्पस हेतु न्यूनतम यूनिट लागत 0.200 लाख प्रस्तावित की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 120 प्राथमिक विद्यालय एवं 80 उच्च प्राथमिक विद्यालय में रैम्पस सुविधा प्रस्तावित की गई हैं। रैंम्पस संबंधी सुविधा एवं लागत निम्न सारणी से स्पष्ट हैं–

विवरण	विद्यालय का प्रकार	संख्या	यूनिट लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)
रैम्पस	प्रा.वि.	120	0.200	24.000
	उ.प्रा.वि.	80	0.200	16.000
	योग	200		40.000

10.8 चारदीवारी–

उच्च प्राथमिक विघालयो में प्रति वर्ष पूरे जिले के लिये प्रति वर्ष 50.000 लाख रू. प्रस्तावित किये गये है। इस गतिविधि में 4 वर्षो में कुल 200.000 लाख प्रस्तावित किये गये है।

क्र. सं.	गतिविधियां	कुल आवश्यकता		डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत निर्माण		सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण		शेष रहे निर्माण कार्य	
		प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्र.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.
1.	भवन विहीन विद्यालय	383	38	67	—	203	24	113	14
2.	अति.कक्षा कक्ष	745	1490	178	—	—	580	567	921
3.	प्रधानाध्यापक कक्ष	—	200	—	—	—	169	—	31
3.	शौचालय	924	298	403	—	111	236	410	62
4.	हैंण्डपम्प	530	212	70	—	50	150	410	62
5.	नल कनेक्शन / टांका	50	57	30	—	20	37	—	20
6.	रैम्पस	745	203	10	—	120	80	615	203
7.	चारदीवारी	750	200	—	—	120	80	630	120
8.	मरम्मत	846	294	—	—	846	294	—	—

अध्याय 11

परियोजना लागत अनुमान

समस्त परियोजनाओं की तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी इस अध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अध्याय में विभिन्न गतिविधियों की लागत राशि की गणना कर परियोजना की कुल लागत का आंकलन किया जाता हैं। किसी भी गतिविधि की कुल लागत निकालने के लिए सबसे पहले इकाई लागत अथवा यूनिट लागत निश्चित की जाती हैं। यूनिट लागत से तात्पर्य सबसे छोटे रूप में की जाने वाली किया / गतिविधि तथा उसकी वित्तीय लागत से हैं। एक बार जब किसी वस्तु अथवा गतिविधि की यूनिट जाती हैं, तो हम आसानी से उस प्रकार की समस्त गतिविधियों एवं कियाओं की कुल लागत / मूल्य ज्ञात कर सकते है।

सर्व शिक्षा अभियान में अनेक शीर्ष वार गतिविधयां हैं जिनकी यूनिट लागत से गणना कर कार्यक्रमों की कुल राशि ज्ञात की गई है। इस अध्याय में वर्ष वार सम्पादित होने वाली गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय लागत दर्शायी गई हैं। कुल लागत निकालने के पश्चात् निर्माण एवं प्रबंधन की तय सिलिंग सीमा की भी गणना की गई है। परियोजना लागत के अनुमान के आधार पर ही प्रथम वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003–04 निर्मित की गई हैं। जो की अगले अध्याय में दिया गया हैं। इसी के कियान्विति के आधार का भी अंतिम अध्याय में विवेचन किया गया हैं। इस प्रकार परियोजना लागत अनुमान केवल गणितीय प्रकिया ही नहीं बल्कि लागत लेखा–शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर परियोजना की लागत निकालने की प्रकिया है। नीचे दी गई सारणी में सम्पूर्ण परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के वर्ष वार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लागत विस्तार से दर्शायी गई हैं।

SARVA SHIKSHA ABHIYAN (PERSPECTIVE PLAN) 2003-07

:T:JHALAWAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		Additional Teacher												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		Education Gaurantee Scheme (EGS)												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	20400	172 380	17980	151.931	15439	130.45955	12771	107.915	66590	562.686
3		Upgradation Primary School to Upper Primary School			55		45		14		51		165	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	55	27.500	45	22.500	14	7.000	51	25.500	165	82.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	55	49.500	45	40.500	14	12.600	51	45.900	165	148.500
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	20	24.000	75	90.000	120	144.000	134	160.800	349	418.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	55	34.650	45	28.350	14	8.820	51	32.130	165	103 950
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	40	33.600	170	142.800	315	264.600	388	325.920	913	766 920
4		Class Room												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96.000	140	168.000	180	216.000	180	216.000	580	696.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	40	20.000	50	25.000	50	25.000	29	14.500	169	84.500
5		Free Text Book												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	8300	8.300	8500	8.500	8700	8.700	8900	8.900	34400	34.400
6		Civil Work												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	6	15.360	6	15.360	6	15.360	6	15.360	24	61 440
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	20	72.000	55	198.000	71	255.600	57	205.200	203	730 800
	6.3	Toilets	Number	0.1	47	4.700	100	10.000	100	10.000	100	10 000	347	34 700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	19	9.500	50	25.000	100	50.000	80	40.000	249	124.500
	6.5	PHED Connections	Number	0.2		0.000	17	3.400	40	8.000		0.000	57	11.400
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000	200	40 000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	50	6.250	50	6 250	50	6.250	200	25.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	50	12.500	50	12.500	50	12.500	50	12.500	200	50.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000	100	25.000	100	25.000	150	37.500	450	112.500
7		Maintinance & Repairs												
	7.1	Primary School	Number	0.05	846	42.300	834	41.700	832	41.600	969	48.450	3481	174.050
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	294	14.700	349	17.450	394	19.700	409	20 450	1446	72.300
8		Upgradation of EGS/AS to Primary School			43		43		152		43		281	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	43	4.300	43	4.300	152	15 200	43	4.300	281	28 100
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	43	27.090	43	27.090	152	95.760	43	27.090	281	177 030
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	43	36.120	86	72.240	238	199.920	367	308 280
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	43	5.805	43	5.805	152	20.520	43	5.805	281	37.935
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	43	8.772	43	8.772	152	31.008	238	48.552
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	43	9.804	43	9 804	86	19.608
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	43	10 836	43	10 836

SARVA SHIKSHA ABHIYAN (PERSPECTIVE PLAN) 2003-07

:T:JHALAWAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
9		**School Grant**												
	9.1	Primary School	Number	0.02	846		834		832	16.640	969	19.380	3481	36.020
	9.2	Upper Primary School	Number	0.02	294	5.880	349	6.980	394	7.880	409	8.180	1446	28.920
10		**Teachers Grant**												
	10.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2515		2601		2905	14.525	2991	14.955	11012	29.480
	10.2	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2640	13.200	2805	14.025	2933	14.665	3094	15.470	11472	57.360
11		**Teachers Training**												
	11.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2472		2515		2667	37.338	2710	37.940	10364	75.278
	11.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2640		2805	39.270	2933	41.062	3094	43.316	11472	123.648
	11.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	166	6.972		0.000		0.000	166	6.972
	11.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	43	0.903	86	1.806	238	4.998	281	5.901	648	13.608
12		**Training for Community Leaders**												
	12.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2352	1.411	2792	1.675	3152	1.891	3272	1.963	11568	6.941
13		**Provision for Disabled Children**												
	13.1	Disabled Children	Number	0.012	198	2.376	198	2.376	1153	13.836	1153	13.836	2702	32.424
14		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**												
	14.1	Primary School	Number	0.014	846	11.844	834	11.676	832	11.648	969	13.566	3481	48.734
	14.2	Upper Primary School	Number	0.014	294		349	4.886	394	5.516	409	5.726	1446	16.128
15		**Management Cost**												
	15.1	***District Project Office***												
	15.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.200	1	2.400	1	2.400	3	6.000
	15.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0.000	4	4.080	4	8.160	4	8.160	12	20.400
	15.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0.000	3	2.160	3	4.320	3	4.320	9	10.800
	15.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	0.900	1	1.800	1	1.800	3	4.500
	15.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	0.840	1	1.680	1	1.680	3	4.200
	15.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.600	1	1.200	1	1.200	3	3.000
	15.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	15.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	1	0.300	1	0.600	1	0.600	3	1.500
	15.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000	4	0.960	4	1.920	4	1.920	12	4.800
	15.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.459	3	0.918	3	0.918	9	2.295
	15.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.153	1	0.306	1	0.306	3	0.765
	15.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	15.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	15.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	2.100	5	4.200	5	4.200	15	10.500
	15.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	15.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	15.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	15.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	15.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	15.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	15.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	15.3	***BRCF Office***												
	15.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	6	5.880	6	11.760	6	11.760	18	29.400
	15.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	18	12.960	18	25.920	18	25.920	54	64.800
	15.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	6	4.320	6	8.640	6	8.640	18	21.600

SARVA SHIKSHA ABHIYAN (PERSPECTIVE PLAN) 2003-07

:T:JHALAWAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	15.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	6	6.480	6	6.480	6	6.480	6	6.480	24	25.920
	15.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	6	3.600	6	3.600	6	3.600	6	3.600	24	14.400
	15.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	6	2.880	6	2.880	6	2.880	6	2.880	24	11.520
	15.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	6	0.918	6	1.836	6	1.836	18	4.590
	15.4	*Strengthening of BEEO Office*												
	15.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	6	5.100		0.000		0.000		0.000	6	5.100
	15.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	6	0.720	6	0.720	6	0.720	6	0.720	24	2.880
	15.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	6	0.600	6	0.600	6	0.600	6	0.600	24	2.400
	15.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	6	5.040	6	5.040	6	5.040	6	5.040	24	20.160
	15.5	*CRCF Office*												
	15.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	96	57.600	96	115.200	96	57.600	288	230.400
16		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
17	17.1	**Block Resource Center**												
	17.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	6	0.750	6	0.750	6	0.750	6	0.750	24	3.000
	17.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	6	0.360	6	0.360	6	0.360	6	0.360	24	1.440
	17.1.4	TLM Grant	Number	0.05	6	0.300	6	0.300	6	0.300	6	0.300	24	1.200
	17.2	**Cluster Resource Center**												
	17.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	17.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	96	2.400	96	2.400	96	2.400	96	2.400	384	9.600
	17.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	96	2.304	96	2.304	96	2.304	96	2.304	384	9.216
	17.2.4	TLM Grant	Number	0.01	96	0.960	96	0.960	96	0.960	96	0.960	384	3.840
18		**Interventions for Out of School Children**												
	18.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	2000	16.900	1600	13.520	1200	10.140	800	6.760	5600	47.320
19		**Community Mobilisation**												
	19.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1140	11.400	1183	11.830		0.000		0.000	2323	23.230
	19.2	Developing Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	19.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	381	7.620	381	7.620	381	7.620	381	7.620	1524	30.480
		Grand Total				**933.643**		**1480.368**		**2010.079**		**2097.885**		**6521.975**
		Total of Civil work				321.310		548.510		683.710		617.310		2170.840
		% of Civil works				**34.41**		37.05		34.01		29.43		33.29
		Total of Management				26.440		31.492		45.244		45.244		148.420
		% of Management				2.83		2.13		2.25		2.16		2.28

अध्याय –12

प्रथम वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003–04

इस अध्याय में प्रथम वर्ष 2003–04हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को दर्शाया गया हैं। योजना प्रथम वर्ष में आधारभूत ढांचे को कियाशील करने तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को जुटाने एवं परियोजना को जिले में लोगों को अवगत कराने के फलस्परूप कम लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। आगामी वर्षो में जैसे–जैसे परियोजना कार्य गतिमान होगा उसी अनुरूप नई–नई गतिविधिया बढ़े हुए लक्ष्यों के साथ कियान्वित की जावेगी।

इस वर्ष की जाने वाले गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैं–

55 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत किया जाना प्रस्तावित हैं, इन विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम उपकरणं (T.L.E.) हेतु प्रति विद्यालय 0.500 लाख से 27.500लाख तथा 55 प्रधानाध्यापकों का वेतन 49.500 लाख (प्रथम वर्ष), 114.000लाख (अगले वर्ष)हेतु प्रस्तावित हैं। 55 शिक्षकों का वेतन 34.650 लाख (प्रथम वर्ष) तथा 176.400 (अगले वर्ष)प्रस्तावित है। 2855 उ.प्रा.वि. शिक्षकों को T.L.M. राशि के 14.425 लाख देना प्रस्तावित हैं। 294 उ.प्रा. विद्यालयों को विद्यालय अनुदान राशि (S.F.G.) प्रति विद्यालय 0.02 लाख से 5.880 लाख दी जावेगी।

ई.जी.एस. स्कीम के अन्तर्गत 43 राजीव गांधी पाठशालायों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयो में परिवर्तित किया जायेगा। इन 43 विधालयों हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E) राशि 4.300 लाख रू., 86 वेतन हेतु 54.180 लाख रू.(प्रथम वर्ष) 36.120 लाख(अगले वर्ष)हेतु प्रस्तावित किये गये है। 43 पैराटीचर हेतु मानदेय 14.577 लाख रू. प्रस्तावित की गई है।

ई.जी.एस. स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक विधालयो के 20400 बालक–बालिकाओं हेतु 172.380 लाख प्रस्तावित किये गये है।

846 प्राथमिक विधालयो के भवन रखरखाव हेतु 42.300 लाख, 294 उच्च प्राथमिक विधालयों हेतु 14.700 लाख प्रस्तावित किये गये हैं।

सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों में 1140 विद्यालयों में संचालित करने हेतु 11.400 लाख, जनजागरण सामग्री निर्माण पर 0.200 लाख, 2352 एस.एम.सी.सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 1.411 लाख तथा 381 ग्रामें में पंचायत पुस्तकालय हेतु 7.620 लाख का प्रावधान किया गया है ।

गुणात्मक शिक्षण में 294 उ.प्रा.वि. हेतु एस.एफ.जी. 5.880 लाख प्रस्तावित किये गये है। 2885 उ.प्रा.विद्यालयों के शिक्षकों हेतु टी.एल.एम. राशि 14.425 लाख प्रस्तावित की गई हैं। 100 उ.प्रा.विद्यालयों में खेल सामग्री हेतु 25.000 लाख प्रस्तावित किये गये हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 8300 बालको को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके प्रदान करने हेतु 8.300 लाख व्यय होगें ।

शिक्षण —

इस वर्ष निम्नानुसार प्रशिषणों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं–

विवरण	संख्या	अवधि	राशि
उ.प्रा.वि.शिक्षकों का प्रशिक्षण	2885	20 दिन	3.430 लाख
नव चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण	80	30 दिन	1.806 लाख
एस.एम.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण	2352	2 दिन	1.411 लाख

आई.ई.डी. के अन्तर्गत 198 विकलांग बालक–बालिकाऐं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं के लिए 2.376 लाख रूपये विकलांग शिविर एवं उपकरणों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं।

अनु.जाति/अनु. जन जाति/अल्प संख्यक समुदाय की 8300 बालकों हेतु T.L.M. राशि प्रदान करने हेतु 8.300 लाख रखे गये हैं।

अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन हेतु जिले के 846 रा.प्रा.वि. हेतु 11.844 लाख रूपयें प्रस्तावित किये गये है।

निर्माण कार्य के अन्तर्गत 80 अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु 96.000 लाख, 40 प्रधानाध्यापक कक्ष हेतु 20.000 लाख, 47 शौचालयों हेतु 4.700 लाख, 19 हैण्ड पम्प हेतु 9.500 लाख, 50 विद्यालयों में रेम्पस् हेतु 10.00 लाख, भवन विहीन विद्यालय के भवनों हेतु 6 भवन (2 कमरों वाले) हेतु 15.360लाख, 20 भवन विहीन विद्यालय के भवनों (3कमरें वाले) हेतु 72.000 लाख, चारदिवारी हेतु जिले में 50.000लाख रू., लघु मरम्मत हेतु 50 विद्यालयों में 6.250 लाख, बड़ी मरम्मत हेतु 50 विद्यालयों में 12.500लाख प्रस्तावित किये गये हैं।

जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के पदों का वेतन भत्ते एवं प्रबन्धन खर्च में कोई प्रावधान नही किया गया है परन्तु एक वरिष्ठ लिपिक अतिरिक्त पद स्वीकृत कर .084 लाख प्रस्तावित किये गये है। वाहन,उपकरण,फर्नीचर आदि पर कुल व्यय 10.500 लाख प्रस्तावित किये हैं।

खण्ड संदर्भ केन्द्रों हेतु लेखाकार वेतन में 6.480 लाख कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतन 2.880 लाख कनिष्ट लिपिक वेतन 3.600 लाख, कंटिनजेंसी पर 0.750 लाख, यात्रा–भत्ता राशि 0.360 लाख, टी.एल. एम. राशि 0.300लाख प्रस्तावित की गई हैं।

संकुल संदर्भ केन्द्रों हेतु कंटिनजेंसी राशि 2.400 लाख यात्रा भत्ता राशि 2.304 लाख टी.एल.एम. राशि 0.960 लाख प्रस्तावित की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु वाहन, उपकरण, कम्प्यूटर व ऑपरेटटर तथा कार्यालय व्यय हेतु 3.640 लाख प्रस्तावित किये गये हैं। ब्लाक शिक्षा अधिकारी के सभी 6 कार्यालयों हेतु 11.460 लाख रू. प्रस्तावित किये गये है। इस राशि द्वारा उपकरण, वाहन भत्ता, कार्यालय व्यय एवं कम्प्यूटर तथा ऑपरेटर की सेवाओं का उपयोग होगा।

नवाचार पर जिले में इर्स वर्ष 50.000 लाख रू. प्रस्तावित किये गये हैं।

विद्यालयों से वंचित 2000 बालक – बालिकाओं हेतु 16.900 लाख रू. प्रस्तावित किये गये हैं।

इस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट राशि सत्र 2003–04 हेतु 1243. 983 लाख प्रस्तावित की गई है, इसमें निर्माण कार्यो पर 321.310 लाख राशि दी गई हैं जो कुल बजट का 25.83 प्रतिशत हैं। प्रबंधन हेतु 26.440 लाख रू. राशि रखी गई है जो कुल व्यय का 2.13 प्रतिशत है।

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	20400	172.380		0.000	20400	172.380
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	55	27.500		0.000	55	27.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	55	49.500	0	0.000	55	49.500
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	20	24.000	75	90.000	95	114.000
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	55	34.650	0	0.000	55	34.650
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	40	33.600	170	142.800	210	176.400
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96.000		0.000	80	96.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	40	20.000		0.000	40	20.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	8300	8.300		0.000	8300	8.300
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	6	15.360		0.000	6	15.360
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	20	72.000		0.000	20	72.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	47	4.700		0.000	47	4.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	19	9.500		0.000	19	9.500
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000		0.000	100	25.000
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	846	42.300		0.000	846	42.300
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	294	14.700		0.000	294	14.700
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	42	4.200		0.000	[illegible]	[illegible]

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	43	27.090	43	27.090	86	54.180
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	43	36.120	43	36.120
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	43	5.805	0	0.000	43	5.805
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	43	8.772	43	8.772
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
9		**School Grant**								
	9.1	Primary School	Number	0.02	846	0.000	0	0.000	846	0.000
	9.2	Upper Primary School	Number	0.02	294	5.880	0	0.000	294	5.880
10		**Teachers Grant**								
	10.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2515	0.000	129		2644	0.000
	10.2	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2640	13.200	245	1.225	2885	14.425
11		**Teachers Training**								
	11.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2472	0.000	86		2558	0.000
	11.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2640	0.000	245	3.430	2885	3.430
	11.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	11.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	43	0.903	43	0.903	86	1.806
12		**Training for Community Leaders**								
	12.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2352	1.411	0	0.000	2352	1.411
13		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	13.1	Disabled Children	Number	0.012	198	2.376		0.000	198	2.376
14		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	14.1	Primary School	Number	0.014	846	11.844	0	0.000	846	11.844
	14.2	Upper Primary School	Number	0.014	294	0.000	0	0.000	294	0.000
15		**Management Cost**								
	15.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	15.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	15.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	[illegible]

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	15.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	15.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	15.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	15.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	15.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	15.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	15.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	15.3	***BRCF Office***								
	15.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	15.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	6	6.480		0.000	6	6.480
	15.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	6	3.600	0	0.000	6	3.600
	15.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	6	2.880	0	0.000	6	2.880
	15.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	15.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	15.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	6	5.100		0.000	6	5.100
	15.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	6	0.720		0.000	6	0.720
	15.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	6	0.600		0.000	6	0.600
	15.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	6	5.040		0.000	6	5.040
	15.5	***CRCF Office***								
	15.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
16		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
17	**17.1**	**Block Resource Center**								
	17.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	6	0.750		0.000	6	0.750
	17.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	6	0.360		0.000	6	0.360
	17.1.4	TLM Grant	Number	0.05	6	0.300		0.000	6	0.300
	17.2	**Cluster Resource Center**								
	17.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	96	2.400		0.000	96	2.400
	17.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	96	2.304		0.000	96	2.304
	17.2.4	TLM Grant	Number	0.01	96	0.960		0.000	96	0.960
18		**Interventions for Out of School Children**								
	18.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	2000	16.900		0.000	2000	16.900
19		**Community Mobilisation**								
	19.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1140	11.400	0	0.000	1140	11.400
	19.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Pres. Proposals		Spill over		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	381	7.620		0.000	381	7.620
		Grand Total				**933.643**		**310.340**		**1243.983**
		Total of Civil work				321.310		0.000		321.310
		% of Civil works				34.41		0.00		25.83
		Total of Management				26.440		0.000		26.440
		% of Management				2.83		0.00		2.13

अध्याय – 13

क्रियान्विति प्रदर्शन

इस अध्याय में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शीर्ष वार समस्त गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शन सारणी में जो गतिविधि जिस वर्ष की जानी है, उसके भौतिक लक्ष्य सम्बन्धित वर्ष में अंकित करते हुए उसके सामने **$ द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं। संक्षेप में योजना की समस्त गतिविधियों को** सम्पादित होने वाले वर्षों में प्रदर्शित किया गया है –

:T:JHALAWAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**										
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher										
		Ist Year	Number	0.18								
		IInd Year	Number	0.204								
		IIIrd Year	Number	0.228								
		IVth Year	Number	0.252								
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**										
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	20400	$	17980	$	15439	$	12771	$
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			55		45		14		51	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	55	$	45	$	14	$	51	$
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	55	$	45	$	14	$	51	$
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	20	$	75	$	120	$	134	$
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	55	$	45	$	14	$	51	$
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	40	$	170	$	315	$	388	$
4		**Class Room**										
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	$	140	$	180	$	180	$
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	40	$	50	$	50	$	29	$
5		**Free Text Book**										
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	8300	$	8500	$	8700	$	8900	$

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6		Civil Work										
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	6	$	6	$	6	$	6	$
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	20	$	55	$	71	$	57	$
	6.3	Toilets	Number	0.1	47	$	100	$	100	$	100	$
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	19	$	50	$	100	$	80	$
	6.5	PHED Connections	Number	0.2			17	$	40	$		
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	$	50	$	50	$	50	$
	6.7	Construction of BRC	Number	6								
	6.8	Construction of CRC	Number	2								
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	$	1	$	1	$	1	$
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	$	50	$	50	$	50	$
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	50	$	50	$	50	$	50	$
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	$	100	$	100	$	150	$
7		Maintinance & Repairs										
	7.1	Primary School	Number	0.05	846	$	834	$	832	$	969	$
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	294	$	349	$	394	$	409	$
8		Upgradation of EGS/AS to Primary School										
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	43	$	43	$	152	$	43	$
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	43	$	43	$	152	$	43	$
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84			43	$	86	$	238	$
	8.3	Honorarium of Para Teacher										
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	43	$	43	$	152	$	43	$
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204			43	$	43	$	152	$
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228					43	$	43	$
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252							43	$
9		School Grant										

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	9.1	Primary School	Number	0.02					832	$	969	$
	9.2	Upper Primary School	Number	0.02	294	$	349	$	394	$	409	$
10		**Teachers Grant**										
	10.1	Teachers in Primary School	Number	0.005					2905	$	2991	$
	10.2	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2640	$	2805	$	2933	$	3094	$
11		**Teachers Training**										
	11.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014					2667	$	2710	$
	11.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014			2805	$	2933	$	3094	$
	11.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042			166	$				
	11.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	43	$	86	$	238	$	281	$
12		**Training for Community Leaders**										
	12.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2352	$	2792	$	3152	$	3272	$
13		**Provision for Disabled Children**										
	13.1	Disabled Children	Number	0.012	198	$	198	$	1153	$	1153	$
14		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**										
	14.1	Primary School	Number	0.014	846	$	834	$	832	$	969	$
	14.2	Upper Primary School	Number	0.014			349	$	394	$	409	$
15		**Management Cost**										
	15.1	*District Project Office*										
	15.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4			1	$	1	$	1	$
	15.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04			4	$	4	$	4	$
	15.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44			3	$	3	$	3	$
	15.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8			1	$	1	$	1	$
	15.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68			1	$	1	$	1	$
	15.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2			1	$	1	$	1	$
	15.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	$	1	$	1	$	1	$

T:JHALAWAR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	15.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6			1	$	1	$	1	$
	15.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48			4	$	4	$	4	$
	15.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306			3	$	3	$	3	$
	15.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306			1	$	1	$	1	$
	15.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	$	2	$	2	$	2	$
	15.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	$						
	15.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84			5	$	5	$	5	$
	15.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	$						
	15.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	$	1	$	1	$	1	$
	15.2	***Strengthening of DEEO Office***										
	15.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	$	1	$	1	$	1	$
	15.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	$						
	15.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	$	1	$	1	$	1	$
	15.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	$	1	$	1	$	1	$
	15.3	***BRCF Office***										
	15.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96			6	$	6	$	6	$
	15.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44			18	$	18	$	18	$
	15.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44			6	$	6	$	6	$
	15.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	6	$	6	$	6	$	6	$
	15.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	6	$	6	$	6	$	6	$
	15.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	6	$	6	$	6	$	6	$
	15.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306			6	$	6	$	6	$
	15.4	***Strengthening of BEEO Office***										
	15.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	6	$						
	15.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	6	$	6	$	6	$	6	$
	15.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	6	$	6	$	6	$	6	$

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	15.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	6	$	6	$	6	$	6	$
	15.5	***CRCF Office***										
	15.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2			96	$	96	$	96	$
16		**Innovation**	Districts	50	1	$	1	$	1	$	1	$
17	**17.1**	**Block Resource Center**										
	17.1.1	Furniture	Lumpsum	1								
	17.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	6	$	6	$	6	$	6	$
	17.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	6	$	6	$	6	$	6	$
	17.1.4	TLM Grant	Number	0.05	6	$	6	$	6	$	6	$
	17.2	**Cluster Resource Center**										
	17.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1								
	17.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	96	$	96	$	96	$	96	$
	17.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	96	$	96	$	96	$	96	$
	17.2.4	TLM Grant	Number	0.01	96	$	96	$	96	$	96	$
18		**Interventions for Out of School Children**										
	18.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	2000	$	1600	$	1200	$	800	$
19		**Community Mobilisation**										
	19.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1140	$	1183	$				
	19.2	Developing Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	$	1	$	1	$	1	$
	19.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	381	$	381	$	381	$	381	$

जिला–झालावाड

आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता

परिशिष्ट – 1

आधारभूत सुविधाएँ	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्रा.वि.		रा.गा.स्व.ज.पाठशालाएँ		प्रा. एवं उ.प्रा. संस्कृत विद्यालय		शिक्षाकर्मी विद्यालय		वैकल्पिक विद्यालय	
विद्यालयों की संख्या	850		283		432		31		113		75	
	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन	सुविधायुक्त	सुविधाविहिन
शाला भवन	467	383	245	38	258	174	27	4	78	35	–	75
शौचालय	149	701	45	238	–	432	21	10	–	113	–	75
पानी की सुविधा	270	580	62	221	–	432	11	20	–	113	–	75
रैम्पस	10	840	–	283	–	432	8	23	–	113	–	75

जिला–झालावाड

आधारभूत सुविधाओं का वर्ष वार विभाजन

परिशिष्ट – 2

गतिविधि	कुल आवश्यकता	डी.पी.ई.पी / लो.जु. परियोजना द्वारा देय	सर्वशिक्षा अभियान में देय	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
शाला भवन	421	67	227	–	–	6	57	77	63
अति. कक्षा कक्ष	2235	178	580	–	70	80	140	180	180
प्रधानाध्यापक कक्ष	200	–	169			40	50	50	29
सामान्य शौचालय	1207	403	347	–	85	47	100	100	100
बालिका शौचालय	15	–	15	–	15	–	–	–	–
हैण्डपम्प	1003	70	249	–	–	19	50	100	80
पी.एच.ई.डी. कने.	107	30	57	–	–	57	–	—	–
रैम्पस	948	10	200	–	–	50	50	50	50